आसूचना प्रवर्तन समन्वय
INTELLIGENCE ENFORCEMENT COORDINATION

Say Yes to Life, No to Drugs

NCB DAILY NEWS BULLETIN

No. 652

NEWS INDEX Date: July 18, 2026			
S.No.	**Publisher Name**	**Headline**	**Page No.**
NEWS SUMMARY			
1		Summary	1-2
SOUTH			
1	The New Indian Express	Kochi city police move beyond DJ parties to trace white-collar drug network	3
2	Times of India	Man held with MDMA in Kodanad	4
3	Deccan Chronicle	Ganja Worth Rs 1.18 Crore Seized, Two Held	5
4	Udayavani	Mangaluru police launch 'Operation Rise' and 'Beda Bro' anti-drug campaigns	6
5	Yo! Vizag	Students take out rally against drug abuse	7
6	Yo! Vizag	Anti-drug theme park to be ready by August	8
WEST			
7	Times of India	Man gets 4-year jail term for 5.8kg marijuana possession	9
8	Times of India	Ahmedabad: Bopal man held with 331g hybrid ganja	10
9	Dainik Bhaskar	आखिरकार नशा परोसने वाली पान की दुकान हुई सील	11
NORTH			
10	The Print	J-K Police attach assets worth Rs 65 lakh of two drug peddlers	12
11	Rising Kashmir	Illegal properties of Drug peddlers demolished in Budgam	13
12	The Print	Udhampur Police attaches drug peddler's assets worth Rs 1.4 crore	14
13	Daily Excelsior	2 arrested, properties worth over Rs 5 cr attached in anti-drug drive	15
14	The Kashmir Horizon	Police attach residential house acquired through proceeds of drug trafficking in Shopian	16
15	KV News	Four properties attached under NDPS Act in Srinagar	17
16	Hindustan Times	Nigerian man gets 10 years RI over heroin seizure, expired visa	18
17	Times of India	UP govt orders one-year preventive detention of Barabanki drug trafficker	19
18	Kashmir News Observer (	Drug peddler arrested in Sopore; contraband substance recovered: Police	20
19	Free Press Journal	ED Raids Indore, Mandsaur In ₹70-Crore MDMA Trafficking Case; Key Suspect Traced	21-22
20	Times of India	Dabwali police nab 2 in separate cases; 256g heroin seized	23
21	Babushahi	GPS trail leads ANTF to 12.1 Kg heroin; Pakistan-based handler 'Chacha' link surfaces	24
22	India Today	6 kg opium, Rs 1.06 crore cash: Ex-NSG Commando arrested in Rajasthan drug raid	25
23	Punjab Newsline	Punjab Roadways Driver, Conductor Booked in Drug Trafficking Case; 12 Kg Poppy Husk Seized	26
24	Thinq360	Drug-Free Bikaner: Collector Orders Strict Action	27-28
25	Amar Ujala	एक साल तक जेल में रहेगा मॉर्फीन तस्कर ओसामा	29
26	Amar Ujala	चिट्टे तस्करी के मुख्य सरगना को अभी जेल में ही रहना होगा	30
27	Amar Ujala	मोबाइल के डिब्बे में विदेश नागरिक कर रहा था कोकीन की तस्करी, गिरफ्तार	31
28	Amar Ujala	हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार	32
29	Dainik Bhaskar	जयपुर में स्मैक बेचने वाली महिला गिरफ्तार:पति बाहर से लाता था नशा, पत्नी पुड़िया बनाकर 200-300 रुपए में करती थी बिक्री	33
30	Live Hindustan	20 लाख की हेरोइन संग चार तस्कर गिरफ्तार	34
31	Dainik Bhaskar	जमीनी विवाद को लेकर फर्जी मुकदमे में फंसाया:भदोही में बरी हुआ तो कार में हेरोइन रखवा दी, आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार	35-36
32	Amar Ujala	चुनरी रंगने वाला युवक 256 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार	37
33	Amar Ujala	अमृतसर में एक किलो हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार	38
34	Amar Ujala	5 हजार का इनामी हेरोइन सप्लायर चंडीगढ़ से गिरफ्तार	39
35	Dainik Bhaskar	मोगा पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा:महिला समेत 5 गिरफ्तार; हेरोइन और नशीली गोलियां बरामद	40
36	Dainik Bhaskar	हिमाचल में अंतरराजीय ड्रग नेटवर्क बेनकाब, 7 आरोपी दबोचे:कांगड़ा में हेरोइन, 2 ऑल्टो और बाइक जब्त	41
37	Amar Ujala	तीन मामलों में 6 नशा तस्कर गिरफ्तार, 34.68 ग्राम चिट्टा बरामद, 2 कार और 1 बाइक भी जब्त	42
38	Dainik Bhaskar	गुरदासपुर में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान:धारीवाल पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार, 268 ग्राम हेरोइन बरामद	43
39	Amar Ujala	लक्ष्मीपुर खुर्द में 25 लाख का अफीम बरामद	44
40	Dainik Bhaskar	अलीगंज में दो अफीम तस्कर गिरफ्तार:पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम अफीम जब्त, कोर्ट में पेशी	45
41	Dainik Bhaskar	जोधपुर पुलिस ने 6 किलो अफीम पकड़ी:6 लाख रुपए की नकदी बरामद, तस्कर को किया गिरफ्तार	46
42	Himachal Now News	NDPS / मंडी में प्राइवेट बस से 5.535 किलोग्राम चरस व 568 ग्राम अफीम बरामद, हरियाणा के तीन आरोपी गिरफ्तार	47
43	Amar Ujala	971 ग्राम चरस के साथ मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कुल्लू से सप्लायर भी दबोचा	48
44	Dainik Bhaskar	सोलन में चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार:नाकेबंदी को दौरान करीब किलोग्राम नशे के साथ पकड़े गए, 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा	49
45	Punjab Kesari	कांगड़ा में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 154.51 ग्राम चिट्टे और 1.412 KG चरस के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार	50
46	Dainik Bhaskar	मथुरा में 16 मुकदमे वाला गिरफ्तार:651 ग्राम गांजा बरामद; NDPS एक्ट में केस	51
47	Dainik Bhaskar	बस्तर पुलिस ने पकड़ा 6.35 लाख का गांजा:ओडिशा से UP लेकर जा रहे थे तस्कर, बॉर्डर पर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार	52
48	Dainik Bhaskar	16 करोड़ के गांजा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़:बलरामपुर पुलिस ने 4 और तस्करों को किया गिरफ्तार,अब तक 9 आरोपी पकड़े गए	53
49	Dainik Bhaskar	बुरहानपुर पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति अभियान:15 स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित	54
50	Dainik Bhaskar	जनजागरूकता के साथ अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग	55
51	Dainik Bhaskar	स्टेशन पर जीआरपी की नशा मुक्ति रैली, यात्रियों, कुलियों और ऑटो चालकों को किया जागरूक	56
EAST			
52	Times of India	KP seizes ₹2crore hydroponic ganja, arrests one	57
53	Dainik Bhaskar	चार लाख की हेरोइन जब्त	58
54	Dainik Bhaskar	सुपौल में 204GM स्मैक के साथ 2 तस्कर अरेस्ट:अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 लाख, हेलमेट में छिपाकर ले जा रहे थे	59
55	Live Hindustan	175 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 13 लोग गिरफ्तार	60
56	Dainik Bhaskar	24 कार्टन से 6,085 बोतल कोडीनयुक्त कफ सिरप और 28 हजार कैप्सूल जब्त	61
57	Dainik Bhaskar	कोईलवर व चांदी पुलिस की कार्रवाई में 4.14 किलो गांजा किया गया बरामद	62
58	Dainik Bhaskar	10 KG गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार:वैशाली पुलिस का 'ऑपरेशन नीलकंठ' के तहत एक्शन	63

NEWS SUMMARY

News Summary

Heroin / Brown Sugar Trafficking

- Himachal Pradesh (Kangra): 154.51 g heroin seized; 2 arrested.
- Uttar Pradesh (Mirzapur): 99.8 g heroin seized; 4 arrested.
- Punjab (Gurdaspur): 268 g heroin seized; 2 arrested.
- Bihar (Supaul): 204 g smack seized; 2 arrested.
- Bihar (Kishanganj): 175 g brown sugar seized; 13 arrested in multiple operations.

Ganja / Cannabis Trafficking

- Telangana (Rachakonda): 237 kg ganja seized; 2 arrested.
- Chhattisgarh (Bastar): 12.7 kg ganja seized; 2 arrested.
- Chhattisgarh (Balrampur): 3,139 kg ganja network busted; 9 held.
- West Bengal (Kolkata): 7 kg hydroponic ganja seized; 1 arrested.
- Bihar (Vaishali): 10.16 kg ganja seized; 1 arrested.

Charas / Hashish Trafficking

- HP (Kangra): 1.412 kg charas seized; 5 arrested.

Opium / Poppy Straw

- Rajasthan (Jodhpur): 6 kg opium seized; 1 arrested.

Convictions / Enforcement

- **Chandigarh:** Nigerian national sentenced to 10 years RI for possession of 272 g heroin.
- **Gujarat (Rajkot):** Man sentenced to 4 years RI for possessing 5.28 kg marijuana.

Emerging Modus Operandi

- Heroin hidden in dashboards, helmets & phone boxes.
- Drone drops, GPS coordinates used at border.
- Encrypted WhatsApp used for cross-border coordination.

- QR code, bank scanner payments for retail sales.
- Hydroponic ganja smuggled via Thailand air routes.
- Public buses, roadway transport misused for trafficking.

Key Trends

- Ganja trafficking continues from Odisha to multiple states.
- Cross-border heroin routes via Pakistan remain active.
- Rising hydroponic and synthetic drug seizures reported.
- Indo-Nepal border vulnerable to opium, syrup smuggling.
- Focus shifting toward financiers, kingpins, backward linkages.
- NDPS asset attachments intensifying, especially across J&K.

SOUTH

Kochi city police move beyond DJ parties to trace white-collar drug network

newindianexpress.com/cities/kochi/2026/Jul/18/kochi-city-police-move-beyond-dj-parties-to-trace-white-collar-drug-network

Jose K Joseph July 18, 2026

KOCHI: Recent arrests of a bodybuilder and a film production controller have led the Kochi city police to uncover a layered drug supply network allegedly catering to affluent professionals, businesspersons and sections of the film fraternity, indicating that traffickers have expanded well beyond elite DJ parties that had come under the police scanner earlier this year.

According to senior officials, the arrests point to a network in which suppliers, couriers, facilitators and distributors function independently, ensuring that no single person has complete knowledge of the operation. “The biggest mistake is to assume drugs are consumed only at parties. Parties are merely one point of contact. Actual distribution happens quietly through trusted intermediaries catering to select clients,” a senior police officer associated with the investigation told TNIE on condition of anonymity.

Police suspect affluent consumers rarely purchase drugs directly from traffickers. Instead, synthetic drugs such as MDMA and ecstasy are allegedly supplied through a closed network built on personal referrals and trusted contacts. Investigators are examining financial transactions, encrypted messaging platforms, mobile phone records and social media interactions of those arrested to identify the network.

“The network survives because every layer knows only the next person in the chain. This compartmentalisation makes it difficult to crack, but every arrest gives us fresh leads to move higher up the ladder,” another senior officer said.

While elite DJ parties remain under surveillance, police said they have now identified several other channels through which narcotics are allegedly reaching affluent consumers. Authorities have once again warned organisers to strictly comply with the 11pm deadline for DJ parties.

The current investigation builds on the crackdown launched after the raid at a luxury hotel in Kadavanthra earlier this year and subsequent arrests linked to the alleged white-collar drug network. Officials now believe that those cases exposed only one segment of a much larger syndicate operating in Kochi.

Investigators said the probe has now shifted from merely arresting peddlers to dismantling the entire ecosystem sustaining the city’s white-collar drug trade. More arrests are expected as police trace financial transactions, digital evidence and interstate links. Officials indicated that the investigation would now focus not only on suppliers but also on financiers, facilitators and habitual consumers.

Man held with MDMA in Kodanad

TOI timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/man-held-with-mdma-in-kodanad/articleshow/132467254.cms

TNN July 17, 2026

Kochi: A 27-year-old man was arrested with synthetic drugs during an inspection conducted as part of Operation Toofan in Kodanad on Friday. The arrested person has been identified as Anandhu, 27, of Vennala. He was arrested from Kavumpuram area by Perumbavoor ASP's special investigation team and Kodanad police. As much as 0.57g of MDMA was recovered.

Police said he was selling drugs by roaming around on a scooter during the night hours. The man used to reside in a rented house in Kavumpuram area. Anandhu tried to escape upon seeing the police, but was caught. In 2019, he was caught by Palakkad excise with one and a half kilograms of ganja.

Perumbavoor ASP Hardik Meena and Kodanad Inspector AS Sarin led the investigation team.

Ganja Worth Rs 1.18 Crore Seized, Two Held

deccanchronicle.com/southern-states/telangana/ganja-worth-rs-118-crore-seized-two-held-1971629

DC Correspondent July 17, 2026

Hyderabad: The Telangana EAGLE Force, along with the Rachakonda Narcotics Police, seized 237 kg of ganja worth an estimated Rs. 1.185 crore and arrested two persons for allegedly transporting the contraband from Odisha to Maharashtra via Hyderabad.

According to the police, the ganja was concealed in a secret compartment inside a lorry. Acting on a tip-off, the EAGLE Force and the Rachakonda Narcotics Police conducted a joint operation near YNR Function Hall on NH-65 (Vijayawada–Mumbai Highway) and intercepted the vehicle.

During interrogation, the arrested accused allegedly confessed that they had purchased Ganja from Suresh Kedari and Dharam Shinde, both natives of Pune and Pabitra Kumar Sabar a native of Odisha, and have been transporting it from Odisha to Pune. Police said the contraband had been procured in Odisha and was being transported in a lorry belonging to Ayesha Truck Transport. The police also seized three mobile phones from the accused.

A case has been registered, and efforts are on to trace and arrest the remaining accused.

Mangaluru police launch ‘Operation Rise’ and ‘Beda Bro’ anti-drug campaigns

udayavani.com/karnataka/mangaluru-police-launch-operation-rise-and-beda-bro-anti-drug-campaigns-549927

Team Udayavani July 18, 2026

KarnatakaJul 18, 2026, 9:33 AM IST

Mangaluru: The Karnataka government has declared a zero-tolerance policy against narcotic drugs and aims to make the state drug-free by 2028. As part of this initiative, 'Operation Rise' and the 'Beda Bro' campaign have been launched, Mangaluru City Police Commissioner Sudheer Kumar Reddy and Dakshina Kannada Superintendent of Police Dr Arun K. said.

Addressing a press conference at the City Police Commissioner's office on Thursday, the officers said Operation Rise is aimed at strengthening the fight against narcotic drugs through coordinated enforcement, prevention, public awareness and rehabilitation programmes. They said strict legal action is being taken against illegal drug networks as part of the campaign.

They said the 'Beda Bro' campaign is targeted at students and young professionals to encourage them to stay away from drug addiction while promoting a healthy lifestyle.

Drug tests conducted on students

The officers said that, so far this year, around 1,500 students in colleges and about 1,000 people at public and other places have undergone drug consumption tests.

The tests found that eight college students and 50 students tested at public places had consumed narcotic substances. All of them were provided counselling, and rehabilitation support was arranged wherever required.

The officers also said two Forensic Science Laboratory (FSL) vans have been allotted to the Mangaluru City and Dakshina Kannada district police. The vans are equipped with mobile testing kits.

Apart from detecting ganja during inspections, the police are also using kits capable of identifying certain high-end drugs. They added that complaints received through QR codes have helped the police arrest several drug peddlers.

Measures taken

The police said Anti-Drug Committees have been formed in 174 educational institutions under the Mangaluru City Police limits and 101 educational institutions under the Dakshina Kannada district police limits.

Educational institutions are obtaining voluntary declarations from students at the time of admission. Students are also being subjected to regular drug consumption tests. The police further said specially trained dog squads are being used to detect the transportation and storage of narcotic drugs.

Students take out rally against drug abuse

yovizag.com/anti-drug-abuse-awareness-rally-held-in-bheemili/amp

Team Yo! Vizag July 17, 2026

As part of the ‘*Sankhabhrata Sankalapam*‘, a police programme against drug abuse, an awareness rally was held in Bheemili on Friday.

Raising slogans against drug abuse, over 800 students from different colleges in the town participated in the rally.

The rally, which began at the Clock Tower, culminated in a meeting at the beach. Addressing the gathering, speakers exhorted the youth to keep off drugs and focus on education.

They explained the ill-effects of drug use, stating that addiction would ruin lives.

Anti-drug theme park to be ready by August

yovizag.com/news-anti-drug-theme-park-to-open-in-vizag-by-august/amp

Team Yo! Vizag July 17, 2026

Aimed at creating awareness about the ill-effects of the use of narcotic drugs, the Yuvagalam Anti-Drug Theme Park, being developed at Central Park in Vizag, will be another attraction in the city, according to VMRDA Chairman M V Pranav Gopal.

The VMRDA chief, who inspected the ongoing work at the park along with Commissioner N Tej Bharat on Friday, directed the staff to ensure its completion by August.

He suggested that the park should be developed in an innovative manner so that it should be an attractive one in Visakhapatnam.

Officer on Special Duty Krishna Nayak, E E Ramaraju, and other officials accompanied the Chairman and Commissioner.

WEST

Man gets 4-year jail term for 5.8kg marijuana possession

TOI **timesofindia.indiatimes.com**/city/rajkot/man-gets-4-year-jail-term-for-5-8kg-marijuana-possession/amp_articleshow/132469091.cms

The Times Of India July 17, 2026

Rajkot: A city sessions court convicted a 42-year-old man under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act for possessing more than five kilograms of marijuana and sentenced him to four years' rigorous imprisonment along with a fine of Rs 40,000. The court also took serious note of the convict's alleged illegal cultivation on govt land and use of an unauthorised electricity connection.

The convict, Raju Chhagan Jamod, was living in a house built on govt land near a pond in Revaniya village of Vinchhiya taluka in Rajkot district. According to the prosecution, on Feb 16, 2023, SOG police inspector KB Jadeja received a tip-off that Jamod was cultivating marijuana and storing it for commercial sale. Acting on the information, police raided the premises in the presence of two employees from the Vinchhiya Mamlatdar office as independent witnesses.

During the search, police recovered a black sack containing a plant-based narcotic substance kept near a grain storage box. An FSL officer tested the material on the spot and confirmed it to be marijuana weighing 5.28 kg.

During the trial, the defence argued that mandatory legal procedures were not followed during the raid and pointed to alleged inconsistencies in witness testimonies while seeking acquittal.

District govt pleader SK Vora, however, argued that the Mamlatdar office staff and the FSL officer were independent witnesses whose testimony remained unshaken during cross-examination. He further submitted that the accused's statutory rights under the NDPS Act had not been violated.

Accepting the prosecution's arguments, additional sessions judge IB Pathan convicted Jamod and sentenced him to four years' rigorous imprisonment with a fine of Rs 40,000.

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Ahmedabad: Bopal man held with 331g hybrid ganja

Jul 18, 2026, 12.15 AM IST

Ahmedabad: Police arrested a man in Bopal following a raid in the area based on specific intelligence, and recovered 331 grams of hybrid ganja during the operation.

Bopal police identified the accused as Raju Sapra, a resident of Suryanagar near Ghuma Bridge. According to officials, SOG personnel received information that Sapra was storing and selling hybrid ganja from his residence. Bopal PI N S Chauhan led a team and carried out a raid. The recovered substance was examined in the presence of an FSL officer and was found to be a prohibited narcotic. Police arrested Sapra and registered a case against him under the NDPS Act.

आखिरकार नशा परोसने वाली पान की दुकान हुई सील

bhaskarhindi.com/city/chandrapur/chandrapur-news-aakhirkaar-nasha-parosne-wali-paan-ki-dukan-hui-seal-1329696

Bhaskar Hindi July 17, 2026

Chandrapur News शहर में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार 16 जुलाई को बड़ी कार्रवाई करते हुए जटपुरा गेट परिसर स्थित इटनकर के पान ठेले को सील कर दिया। यह कार्रवाई चंद्रपुर महानगरपालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 की धारा 376-ए के तहत की।

मनपा द्वारा प्रतिष्ठान पर नोटिस चस्पा कर स्पष्ट किया गया है कि अगले आदेश तक दुकान पूरी तरह बंद रहेगी। सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना इसे खोला नहीं जा सकेगा और न ही किसी प्रकार का व्यवसाय किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि 25 जून 2026 को स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने इसी पान ठेले पर छापा मारकर करीब 104.210 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स बरामद की थी। इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान जटपुरा वार्ड निवासी ओम संतोष इटनकर (25) को भी हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

रात को कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में बेच रहा था शराब : सूत्रों के अनुसार, इस पान ठेले से रात के समय कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में शराब बेचने के साथ-साथ नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार भी संचालित किया जाता था। हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मामले के उजागर होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया था। स्थानीय नागरिकों ने भी ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस से प्राप्त जानकारी और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर महानगरपालिका ने संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की और गुरुवार को कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर पान ठेले को सील कर दिया। संयुक्त कार्रवाई के दौरान एसडीपीओ चौगुले, रामनगर पुलिस थाने की निरीक्षक प्रभावती एकुरके, चंद्रपुर महानगरपालिका के सहायक आयुक्त सचिन माकोड़े तथा मनपा के अतिक्रमण विभाग की टीम मौजूद रही।

कार्रवाई पूरी होने के बाद किया सील : इटनकर पानठेले पर इसके पूर्व पुलिस ने एमडी की कार्रवाई की थी। इसी के तहत पुलिस प्रशासन ने अन्न व औषण विभाग तथा महानगर पालिका से पत्र व्यवहार कर इनके प्रबंधन लाइसेंस और अन्य लाइसेंस रद्द करने पर क्रियान्वयन किया गया। सभी विभागों द्वारा कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उक्त पानठेले को सील किया गया। -आयुष नोपानी, एसपी चंद्रपुर

NORTH

J-K Police attach assets worth Rs 65 lakh of two drug peddlers

theprint.in/india/j-k-police-attach-assets-worth-rs-65-lakh-of-two-drug-peddlers/2988886

PTI July 17, 2026

Jammu, Jul 17 (PTI) Police have attached properties worth about Rs 65 lakh belonging to two alleged drug peddlers in Jammu and Rajouri districts under the NDPS Act as part of an intensified drive against narcotics trafficking, officials said.

In Jammu, the police seized and froze illegally acquired movable properties worth over Rs 38 lakh belonging to Sharif Hussain alias Bachu, a resident of the Nikki Tawi area.

The attached assets include cash amounting to Rs 14.15 lakh, a Mahindra Scorpio-N SUV valued at Rs 22.33 lakh and a Royal Enfield Bullet motorcycle worth approximately Rs 1.50 lakh.

Investigations established that the assets had been acquired through proceeds of illicit drug trafficking and were identified as illegally acquired properties under Chapter V-A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, the police said.

The properties were attached under Section 68F(1) of the NDPS Act.

Officials said Hussain is a habitual offender involved in multiple criminal cases, including repeated offences under the NDPS Act.

In a separate action, the police attached an immovable property worth around Rs 27 lakh belonging to Waseem Akram, a resident of Fatehpur Danna in Rajouri district, they said.

The attached property comprises a single-storey residential house at Fatehpur Danna, which was acquired through the proceeds of drug trafficking, the police said.

The accused is involved in multiple cases under the NDPS Act registered at different police stations in the district, they said.

The attachment was carried out under Section 68F of the NDPS Act after investigations established that the property had been acquired through the illicit narcotics trade, the officials said.

The police said the action was aimed at dismantling the financial infrastructure of drug traffickers and reaffirmed their commitment to continue stringent action against those involved in the narcotics trade as part of the ongoing “Nasha Mukt Jammu and Kashmir Abhiyan”. PTI AB SMV KSI KSI

Illegal properties of Drug peddlers demolished in Budgam

risingkashmir.com/jammu-and-kashmir/kashmir/illegal-properties-of-drug-peddlers-demolished-in-budgam-12174833

Arif Rashid

July 17, 2026

Budgam, July 17: In a major crackdown on drug peddling, the District Administration Budgam, in coordination with District Police Budgam Friday have demolished four illegally constructed properties allegedly belonging to drug peddlers in the Khansahib Sub-Division.

According to an official, the demolition drive was carried out in the Parnewa and Arigam areas in the presence of revenue and police officials as part of the district's ongoing campaign against narcotics and illegal assets.

During the operation, authorities razed three structures comprising four shops, a cowshed and a tile factory.

Officials said the action forms part of a sustained drive aimed at dismantling properties illegally acquired or constructed by individuals involved in drug peddling.

"The District Administration and District Police are committed to taking stringent action against drug peddlers and dismantling illegal assets linked to the narcotics trade. Such measures are intended to curb the menace of drugs and safeguard the youth from its harmful impact," the official said.

The administration reiterated its resolve to continue the anti-drug campaign across the district, warning that strict action will be taken against those involved in the drug trade and any illegal properties associated with such activities.

Udhampur Police attaches drug peddler’s assets worth Rs 1.4 crore

theprint.in/india/udhampur-police-attaches-drug-peddlers-assets-worth-rs-1-4-crore/2989247

PTI July 17, 2026

Jammu, Jul 17 (PTI) Udhampur Police has attached movable and immovable properties worth Rs 1.40 crore belonging to an alleged drug peddler from Punjab under the NDPS Act as part of its ongoing drive against narcotics trafficking, officials said on Friday.

The action was taken under Section 68-F of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act in connection with a case registered at Majalta police station, they said.

The attached properties belong to Sharif, a resident of Nawinpind village in Punjab’s Amritsar, the police said.

The attached assets include a Swift car, 1 kanal and 8 marlas of land and a newly constructed residential house, they said.

Investigations established that the properties had been acquired from the proceeds of illicit narcotics trafficking, the police said. PTI AB SMV APL

2 arrested, properties worth over Rs 5 cr attached in anti-drug drive

dailyexcelsior.com/2-arrested-properties-worth-over-rs-5-cr-attached-in-anti-drug-drive

Daily Excelsior July 17, 2026

Excelsior Correspondent

SRINAGAR, July 17: Police today arrested two drug peddlers, attached properties worth more than Rs. 5 crore linked to narcotics cases and held public outreach programmes as part of the ongoing Nasha Mukt Abhiyan in Kashmir.

A police spokesperson said Sopore Police arrested Abid Fayaz Shah of Neharpora after recovering a psychotropic substance from his possession during a patrol. "A case under Section 8/21 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act has been registered and further investigation is underway," he said.

In Shopian, police arrested Yasir Altaf Allie of Melhura Zainapora after recovering about 120 grams of a charas-like substance during a checkpoint, the spokesperson said. An FIR has been registered under the NDPS Act to identify others linked to the case.

Police also attached five residential properties in Srinagar and Shopian valued at more than Rs.5 crore, saying they were allegedly acquired through proceeds of drug trafficking.

According to the spokesperson, Safakadal Police in Srinagar attached four residential houses worth Rs.3.34 crore under Section 68F of the NDPS Act in connection with separate narcotics cases. "The owners have been barred from selling, transferring or mortgaging the properties without permission from the competent authority," he said.

In Shopian, police, with the Revenue Department, attached a two-storey house worth about Rs. 1.63 crore belonging to an accused involved in four NDPS cases, the spokesperson said. Another residential house worth about Rs.32.11 lakh was attached in connection with a 2022 NDPS case after it was identified as an asset allegedly acquired through drug proceeds.

Meanwhile, Handwara Police organised Lok Darbar and Thana Divas programmes across the district to interact with residents and spread awareness about drug abuse, the spokesperson said. Police officers heard public grievances and urged people to share information about drug peddling and substance abuse. "We will continue taking strict action against drug peddlers and traffickers while targeting assets created through the illegal drug trade," the spokesperson said. "Public cooperation remains vital in making society drug-free."

Police attach residential house acquired through proceeds of drug trafficking in Shopian

thekashmirhorizon.com/2026/07/17/police-attach-residential-house-acquired-through-proceeds-of-drug-trafficking-in-shopian-4

KH Web Desk

July 17, 2026

Shopian, July 17: As part of its continued crackdown on narcotics-related activities, Shopian Police have attached a residential house valued at ₹3211812/- belonging to Gulzar Ahmad Mir Son of Abdul Gani Mir resident of Melhura Zainapora.

The property was identified as having been acquired through proceeds generated from the illegal trade of drugs and narcotics. Accordingly, the said property has been attached in connection with FIR No. 93/2022 of Police Station Zainapora. The attachment proceedings were carried out in the presence of duly constituted police team, Executive Magistrate, Lambardar and Chowkidar, ensuring full compliance with all legal procedures and maintaining transparency.

Police reiterates its firm commitment to eradicating the menace of drugs by targeting both offenders and the financial assets generated through illicit activities. The general public is urged to come forward with any information regarding drug trafficking or related activities.

Added on July 18, 2026 KV News

Four properties attached under NDPS Act in Srinagar

Srinagar: Police attached four properties cumulatively worth over Rs 3.30 crore under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act in Srinagar district on Friday.

The attached properties include one three-storey house, one double-storey house and two single-storey houses falling under Safakadal police station limits in Old City, a police spokesperson said.

"In a major action against drug trafficking under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan, Srinagar Police has attached four immovable properties worth Rs 3.34 crore under Section 68F of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985," the spokesperson said.

He said Safakadal Police attached the properties during the investigation of NDPS cases, wherein it was found that they were illegally acquired from proceeds of narcotics trade.

"The accused persons have been served with attachment orders and have been prohibited from selling, leasing, mortgaging, transferring, or otherwise disposing of the attached properties, or creating any third-party interest therein, without prior permission of the competent authority," the spokesperson said.

Nigerian man gets 10 years RI over heroin seizure, expired visa

hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/nigerian-man-gets-10-years-ri-over-heroin-seizure-expired-visa-101784313393931-amp.html

HT Correspondent July 18, 2026

A special NDPS court in Chandigarh has sentenced a Nigerian national to 10 years of rigorous imprisonment (RI) after convicting him of possessing a commercial quantity of heroin (250gm or above) and illegally overstaying in India after the expiry of his visa in 2015.

Special judge Bhawna Jain convicted Chuks under Section 21(c) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act and Section 14 of the Foreigners Act. In addition to the prison term, the court imposed a fine of ₹1 lakh under the NDPS Act and ₹10,000 under the Foreigners Act. In default of payment, the convict will undergo additional imprisonment. Both sentences will run concurrently.

According to the prosecution, a police team of the operation cell was on patrol near the slip road adjoining Tribune Chowk in the Industrial Area on October 27, 2021, when it noticed the accused behaving suspiciously. The prosecution alleged that the accused attempted to discard a polythene packet, which was recovered and found to contain 272gm of heroin. The seized contraband was later confirmed to be heroin by the central forensic science laboratory (CFSL).

During the investigation, police found that the accused had entered India on a business visa that had expired in 2015 and had continued to stay in the country without valid authorisation.

The defence argued that the accused had been illegally picked up from Tilak Nagar in Delhi several days before the alleged recovery and falsely implicated in the case. It also questioned the absence of independent witnesses, discrepancies in the prosecution witnesses' statements, delay in sending the sample for forensic examination, and alleged non-compliance with the mandatory safeguards under Section 50 of the NDPS Act.

Rejecting these contentions, the court held that the prosecution had successfully established the recovery of the contraband through reliable testimony of official witnesses, supported by documentary and forensic evidence. The judge observed that the chain of custody of the seized heroin remained intact from the time of seizure until forensic examination.

The court further held that Section 50 of the NDPS Act was not attracted in the present case as the recovery was made from a polythene packet and not from the personal search of the accused. It also observed that the absence of independent public witnesses was not fatal to the prosecution case, particularly when there was no evidence suggesting bias or false implication by the police officials.

Finding that the accused had failed to rebut the statutory presumptions under the NDPS Act or produce any valid document extending his visa, the court held that the prosecution had proved its case beyond reasonable doubt and ordered that the period already spent in custody be set off

UP govt orders one-year preventive detention of Barabanki drug trafficker

TOI **timesofindia.indiatimes.com**/city/lucknow/up-govt-orders-one-year-preventive-detention-of-barabanki-drug-trafficker/amp_articleshow/132469441.cms

TNN

July 17, 2026

Lucknow: A drug trafficker from Barabanki district was given a detention for one year under the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (PIT-NDPS) Act, 1988, citing his long-standing involvement in narcotics trafficking and repeated criminal activities.

According to Barabanki Police, the detention order was issued by the UP govt under section 3(1) of the PIT-NDPS Act against Osama alias Usama, a resident of Tikra Usma village under Jaidpur police station in Barabanki district.

Officials said Osama has been listed as a habitual criminal. A history sheet (No. 46-B) was also opened at Jaidpur police station to monitor his alleged involvement in drug trafficking.

According to police records, the accused has 10 criminal cases registered against him, including four cases under the NDPS Act and six cases under other criminal laws.

Police said one of the most significant recoveries linked to the accused was made in 2023, when Loni Katra police arrested him along with his associates and allegedly seized 23.490 kg of illegal morphine (smack) valued at approximately ₹5.16 crore in the international illicit market.

The accused is currently lodged in the District Jail, Barabanki, after being arrested in a case registered under NDPS Act.

Drug peddler arrested in Sopore; contraband substance recovered: Police | KNO

kashmirnewsobserver.com/top-stories/drug-peddler-arrested-in-sopore-contraband-substance-recovered-police-kno-203828

KNO Correspondent

Srinagar, Jul 17 (KNO): In continuation of the ongoing anti-drug enforcement drive under the 100-Day Nasha Mukt Jammu & Kashmir Abhiyaan, J&K Police apprehended a drug peddler during patrolling in the jurisdiction of Police Post Bus Stand.

According to a statement issued to the news agency—Kashmir News Observer (KNO), during patrolling at Neharpora, Sopore, a suspicious individual was intercepted and subjected to personal search.

During the search, psychotropic substance was recovered from his possession and seized in accordance with due legal procedure. The accused has been identified as Abid Fayaz Shah, son of Fayaz Ahmad Shah, resident of Neharpora Bagh Ali Street Sopore. Accordingly, a case vide FIR No. 174/2026 under Section 8/21 of the NDPS Act has been registered at Police Station Sopore and further investigation has been taken up to ascertain the source and wider network involved.

Police reiterated that strict action against drug peddlers and traffickers will continue across the district. Every effort is being made to dismantle the narcotics ecosystem and prevent the spread of drugs among the youth. Police remains committed to the objectives of the Nasha Mukt Jammu & Kashmir Abhiyaan and will continue its sustained efforts to build a safer, healthier and drug-free society.

ED Raids Indore, Mandsaur In ₹70-Crore MDMA Trafficking Case; Key Suspect Traced

freepressjournal.in/amp/bhopal/ed-raids-indore-mandsaur-in-70-crore-mdma-trafficking-case-key-suspect-traced

Staff Reporter July 18, 2026

Bhopal (Madhya Pradesh): The Directorate of Enforcement (ED), Indore, has conducted simultaneous search operations across various locations in Indore and Mandsaur in connection with an investigation into the alleged trafficking of 70kg of MDMA (Mephedrone), valued at approximately Rs 70 crore, officials said.

The ED initiated the investigation based on an FIR registered by the Crime Branch, Indore, against various suspect persons.

During the course of the investigation, it was revealed that one of the principal suspects had become untraceable at his known addresses.

The ED undertook extensive intelligence-led efforts, employing advanced analytical and investigative techniques to trace his movements over several days across Hyderabad, Bikaner and Indore.

Following sustained surveillance and intelligence development, the suspect was successfully tracked down at a previously unknown address in Indore, paving the way for the execution of search proceedings.

The searches resulted in the recovery of crucial incriminating documents and digital evidence, along with details relating to the assets and financial affairs of the suspect persons.

Several documents and digital devices have been seized for forensic examination and will be subjected to detailed financial analysis to identify the proceeds of crime, trace the money trail and ascertain the extent of the laundering of funds generated from the scheduled offence.

During the search proceedings, one bank locker was also found in the name of a relative of one of the suspects. The search and seizure operation of the bank locker is being undertaken separately.

Evidence gathered during the search is expected to provide significant leads regarding the financial network, assets and other persons connected with the alleged offence.

The ED is examining the role of all persons involved and the financial transactions linked to the proceeds of crime.

ED strikes at multi-state drug trafficking network under Nasha Mukt Bharat Abhiyan

Directorate of Enforcement, Indore has conducted simultaneous search operations across various locations in Indore and Mandsaur, in connection with an investigation relating to the alleged trafficking of 70 kilograms of MDMA (Mephedrone) drugs, valued at approximately Rs 70 Crore, said officials.

ED initiated an investigation on the basis of FIR registered by the Crime Branch, Indore, against various accused persons.

During the course of the investigation, it was revealed that one of the principal accused had become untraceable at his known addresses.

The ED undertook extensive intelligence-led efforts, employing advanced analytical and investigative techniques to trace his movements over several days across Hyderabad, Bikaner, and Indore.

Following sustained surveillance and intelligence development, the accused was successfully tracked down at a previously unknown address at Indore, paving the way for the execution of search proceedings.

The searches have resulted in the recovery of crucial incriminating documents and digital evidence, along with details relating to the assets and financial affairs of the accused persons.

Several documents and digital devices have been seized for forensic examination and will be subjected to detailed financial analysis to identify the proceeds of crime, trace the money trail, and ascertain the extent of the laundering of funds generated from the scheduled offence.

During the course of the search proceedings, one bank locker was also found in the name of a relative of one of the accused. A search and seizure operation on the bank locker is being undertaken separately.

Evidence gathered during the search are expected to provide significant leads regarding the financial network, assets, and other persons connected with the alleged offence.

ED is examining the role of all persons involved and the financial transactions linked to the Proceeds of Crime.

Dabwali police nab 2 in separate cases; 256g heroin seized

TOI timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/dabwali-police-nab-2-in-separate-cases-256g-heroin-seized/amp_articleshow/132467160.cms

The Times Of India July 17, 2026

Kumar Mukesh | Jul 17, 2026, 23:16 IST

Hisar: Dabwali police have arrested two alleged drug offenders in separate operations, including a suspected heroin peddler found with 256 grams of heroin and a proclaimed offender wanted in a 2025 NDPS case.

Addressing a news conference, DSP Kalanwali Lalit Kumar said following a tip-off, the Anti-Narcotics Cell (ANC) arrested Yunus Khan, who allegedly worked as a tie-dye artisan, near the RUB railway crossing on Malout Road and seized the contraband from his black bag. During interrogation, Yunus allegedly disclosed the identity of his supplier, following which police registered a case under the NDPS Act and launched raids to arrest the supplier.

In a separate breakthrough, the ANC arrested Salim alias Bhima, who had been absconding for nearly 18 months in connection with a 2025 heroin seizure of 292.9 grams under the Kalanwali police station limits. Declared a proclaimed offender with a Rs 5,000 reward, Salim was traced and arrested during a raid in Chandigarh.

GPS trail leads ANTF to 12.1 Kg heroin; Pakistan-based handler ‘Chacha’ link surfaces

babushahi.com/view-news.php

Ferozepur, July 17, 2026: In a major breakthrough against cross-border drug trafficking, the Anti-Narcotics Task Force (ANTF), Ferozepur Range, has busted an international drug smuggling syndicate and seized 12.1 kg of heroin while arresting a second-line courier, dealing a significant blow to the narcotics network operating across the Indo-Pak border.

The operation was carried out under the Punjab Government's ongoing anti-drug campaign, Yudh Nashian Virudh, on the directions of Director General of Police (DGP) Punjab and ADGP ANTF Nilabh Kishore. The raid was conducted under the supervision of Gurinderbir Singh, SP, ANTF Ferozepur Range, by a team led by DSP Pirthipal Singh and Sub-Inspector Hardev Singh.

Following the operation, the ANTF registered FIR No. 155 dated July 15, 2026, under Section 21 of the NDPS Act at Police Station ANTF, SAS Nagar.

The arrested accused has been identified as Jagsir Singh alias Lavi, son of Sona Singh, a resident of village Badal Ke Uttar in Fazilka district. Police said the accused is a diploma student with no previous criminal record. Investigators described him as a second-line courier who did not collect narcotics directly from drone drops but received consignments from first-line couriers before arranging their onward transportation and distribution.

Preliminary investigation has revealed that the syndicate employed sophisticated technology to evade law enforcement. According to the ANTF, the heroin consignment was recovered from a predetermined dead-drop location in village Rao Ke. The accused was guided to the pickup point using precise GPS coordinates provided by a Pakistan-based handler known by the alias "Chacha," believed to be operating from the Kasur region and linked to a major cross-border drug trafficking syndicate.

Officials said the entire operation was coordinated through encrypted WhatsApp communication. The seized consignment was reportedly meant for delivery to a local recipient who was using an Australian virtual WhatsApp number to conceal his identity.

The ANTF has also seized the accused's mobile phone, which is undergoing detailed digital forensic examination. Investigators are analysing electronic evidence to trace both the backward and forward linkages of the international drug trafficking network and identify other members of the syndicate.

Police said further arrests and recoveries are likely as the investigation progresses.

6 kg opium, Rs 1.06 crore cash: Ex-NSG Commando arrested in Rajasthan drug raid

indiatoday.in/india/story/rajasthan-drug-raid-ex-nsg-commando-arrested-6-kg-opium-rs-1-06-crore-seized-2950233-2026-07-17

Ashok Sharma

July 17, 2026

A former NSG commando is among those caught in a major drug crackdown in Rajasthan, after police raided his home and allegedly recovered six kilograms of opium and Rs 1 crore 6.5 lakh in cash.

The action was carried out by Jodhpur District East Police late on Thursday night on the directions of the Rajasthan Police Headquarters as part of a crackdown on people allegedly involved in the trafficking and sale of narcotics.

Police carried out raids at three locations, including two in the Banad police station area and another in the Dangiyawas police station area.

Punjab Roadways Driver, Conductor Booked in Drug Trafficking Case; 12 Kg Poppy Husk Seized

punjabnewsline.com/news/punjab-roadways-driver-conductor-booked-in-drug-trafficking-case-12-kg-poppy-husk-seized

July 18, 2026

Punjab Newsline | Ludhiana

A Punbus depot driver and conductor have been booked in a drug trafficking case in Ludhiana after a depot checking team's report led to police action. Based on the report, Division No. 5 Police Station registered an FIR against both employees under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act.

According to police, the case was registered following a complaint submitted by the Ludhiana Punbus Depot Manager. The complaint stated that on July 17, 2026, the depot's checking team reported that driver Gobinder Singh and conductor Manpreet Singh alias Kaku were allegedly transporting narcotics in a Panbus vehicle.

The checking staff reported that the contraband had been kept in a car bearing registration number PB-10-FUU-5356. Acting on the complaint, police launched an investigation and arrested Manpreet Singh alias Kaku, a resident of Saidpur Behrara village in Anandpur Sahib tehsil of Rupnagar district.

During the search, police recovered 12 kilograms of bhukki (poppy husk) from his possession. The second accused, Gobinder Singh, a resident of Mamadpur village under Sherpur police station in Sangrur district, is currently absconding.

Police teams are conducting raids at suspected hideouts to trace and arrest the absconding accused. An FIR has been registered against both accused under Sections 15, 61, and 85 of the NDPS Act.

Police said the investigation is ongoing, and further action will be taken based on the findings.

Drug-Free Bikaner: Collector Orders Strict Action

thinq360.com/en/bikaner-collector-orders-strict-action-against-drug-trafficking-operation-neelkanth

जोगेन्द्र सिंह शेखावत

July 17, 2026

A meeting was held chaired by District Collector Nishant Jain to make Bikaner drug-free. Emphasis was placed on strict action against smugglers under 'Operation Neelkanth' and increasing public awareness.

HIGHLIGHTS

- A Narco Coordination Committee meeting was held under the chairmanship of District Collector Nishant Jain to make Bikaner drug-free.
- Superintendent of Police Mridul Kachhawa stated that continuous strict action is being taken against drug traffickers under 'Operation Neelkanth'.
- Bikaner Police has issued a helpline number 87645-07201 to report information about drug traffickers.
- The meeting emphasized coordinated action by all departments and running a comprehensive public awareness campaign against drugs.

Bikaner | With the resolve to make the district completely drug-free under the Drug-Free India campaign, an important meeting was organized at the District Collectorate auditorium on Thursday. Chaired by District Collector Mr. Nishant Jain, this district-level Narco Coordination Committee (NCORD) meeting conducted a thorough review of drug prevention, control, and enforcement actions.

Coordinated Efforts for a Drug-Free Bikaner

Presiding over the meeting, District Collector Nishant Jain said that an effective strike on drugs is the greatest need of the hour.

He emphasized that this goal can only be achieved when the administration, society, educational institutions, and ordinary citizens work together.

Joint Responsibility of Administration and Society

The Collector clarified that drug de-addiction is not just a matter of law and order, but also a social and human responsibility.

He called upon the youth to become the pioneers of this campaign. He said that colleges, universities, coaching institutes, and social organizations must also play an active role.

Strict Instructions to Officials

The District Collector gave several important instructions to the concerned officials. He asked to make the actions of the Customs Department more effective.

Additionally, he directed to ensure the legal sale of drugs under the NDPS Act, maintain their records regularly, and strictly enforce the rules.

Crackdown on Traffickers under 'Operation Neelkanth'

Superintendent of Police Mr. Mridul Kachhawa, present at the meeting, provided information on the actions being taken by the police department.

He stated that continuous strict action is being taken against drug traffickers in the district through 'Operation Neelkanth'.

Illegal Properties Being Demolished

SP Kachhawa mentioned that with the cooperation of the district administration, action is also being taken to demolish the illegal houses, shops, and other illegal properties of drug traffickers.

He stressed that this campaign will continue in the future to break the backbone of the drug trade.

Helpline Issued for Information on Drug Traffickers

The Superintendent of Police informed that a special anti-drug helpline number 87645-07201 has been issued by the Bikaner Police under 'Operation Neelkanth'.

He appealed to the general public that anyone can report information about the purchase, sale, or trafficking of illegal drugs on this number without any fear.

The identity of the informant will be kept completely confidential, and strict legal action will be ensured against the culprits.

Active Participation of Educational Institutions

Representatives of educational institutions also shared information about their efforts in the meeting. The representative of Maharani College stated that a 'Nai Kiran Nasha Mukti Kendra' is being operated on the college campus.

Meanwhile, Dr. Shwet Goswami, a representative from Synthesis Coaching, mentioned that psychiatrist services are available for student counseling at the institute, and a special suggestion and information box has also been installed.

Presence in the Meeting

At the beginning of the meeting, Joint Director of the Social Justice and Empowerment Department, Mr. L.D. Panwar, and Chief District Education Officer, Mr. Mahendra Sharma, presented the progress report of the campaign. During this, SDM Bikaner Mahima Kasana, IAS Mr. Ravi Garg, and officials and representatives from many other departments were present.

एक साल तक जेल में रहेगा मॉर्फीन तस्कर ओसामा

amarujala.com/amp/uttar-pradesh/barabanki/morphine-smuggler-osama-to-remain-in-jail-for-a-year-barabanki-news-c-315-1-lu11010-174527-2026-07-18

लखनऊ ब्यूरो

July 17, 2026

बाराबंकी: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य सरकार ने जिले के एक कुख्यात तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की है। जैदपुर थाना के टिकरा उस्मा गांव निवासी ओसामा उर्फ ऊसामा को प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (पिट-एनडीपीएस) एक्ट 1988 के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी 416 ग्राम अवैध मॉर्फीन बरामदगी के मामले में वर्तमान में जिला कारागार बाराबंकी में बंद है।

पुलिस के अनुसार राज्य सरकार ने 16 जुलाई को पिट-एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के तहत निरुद्धी आदेश जारी किया। ओसामा पिछले आठ वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय है। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के चार और अन्य धाराओं में छह सहित कुल 10 मामले दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उसे डी-गैंग-160 में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए जैदपुर थाने में हिस्ट्रीशीट संख्या 46-बी खोली गई है।आरोपी वर्ष 2023 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब लोनीकटरा थाना पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर 23.490 किलोग्राम मार्फीन बरामद की थी।

पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 5.16 करोड़ रुपये आंकी थी। इसके अलावा 23 अप्रैल 2026 को जैदपुर थाना पुलिस ने उसके कब्जे से 416 ग्राम मॉर्फीन बरामद करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसी मामले में वह वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। एसपी अर्पित विजयवर्गीय का कहना है कि पिट्स एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होती है, जो समाज के लिए घातक होते हैं।

चिट्टे तस्करी के मुख्य सरगना को अभी जेल में ही रहना होगा

amarujala.com/amp/shimla/the-main-kingpin-of-the-synthetic-drug-smuggling-racket-will-have-to-remain-in-jail-for-now-shimla-news-c-19-sml1002-755031-2026-07-17

शिमला ब्यूरो July 17, 2026

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला: एनडीपीएस कोर्ट ने चिट्टा (हेरोइन) तस्करी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी की संलिप्तता को देखते हुए यह सख्त फैसला सुनाया है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया में यह प्रतीत होता है कि आरोपी उत्तर भारत के क्षेत्रों में हेरोइन का मुख्य सप्लायर है। न्यायाधीश ने कहा कि अभी जांच जारी है और मोबाइल डाटा का विश्लेषण किया जाना बाकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा और इससे जांच प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने कहा कि न्याय के हित में आरोपी को हिरासत में रखना आवश्यक है। मामला 18 मई 2026 का है जब बालूगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तारादेवी के पास एक कार से 14 ग्राम चिट्टा बरामद किया था।

ये भी पढ़ें

इस दौरान कार सवार जय सिंगला को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान जय सिंगला ने खुलासा किया कि उसने यह नशा कुलदीप सिंह से खरीदा था जिसे पंजाब के मोगा निवासी अमृतपाल सिंह ने उपलब्ध करवाया था। पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी कुलदीप सिंह और अमृतपाल से चिट्टा खरीदकर उसे आगे बेचता था और पैसों का लेनदेन बैंक स्कैनर/क्यूआर कोड के जरिये होता था।

अमृतपाल सिंह के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपी को केवल कॉल डिटेल और सह-आरोपी के बयानों के आधार पर फंसाया है और वह समानता के आधार पर जमानत का हकदार है। अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और बताया कि आरोपी न केवल इस मामले में बल्कि पिंजौर (पंचकूला) में दर्ज एक अन्य एनडीपीएस मामले में भी नामजद है।

मोबाइल के डिब्बे में विदेश नागरिक कर रहा था कोकीन की तस्करी, गिरफ्तार

amarujala.com/delhi-ncr/foreign-national-arrested-for-smuggling-cocaine-in-a-mobile-phone-box-delhi-ncr-news-c-340-1-del1004-146325-2026-07-17

अमर उजाला ब्यूरो July 17, 2026

अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 17 Jul 2026 09:14 PM IST

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दक्षिण जिले की मैदानगढ़ी थाना पुलिस ने नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक विदेशी नागरिक को कोकीन संग गिरफ्तार किया है। आइवरी कोस्ट का रहने वाला 37 वर्षीय जोन जाक्स ने बरामद कोकीन की खेप को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए फोन के डिब्बे में छिपाकर स्कूटी की डिक्की में रखा हुआ था।

फिलहाल पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप किससे लाई गई थी और दिल्ली में किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दिल्ली में छतरपुर की राम कॉलोनी में रह रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी वर्ष 2020 में मोहन गार्डन थाने के एनडीपीएस मामले में 260 ग्राम हेरोइन संग गिरफ्तार हो चुका है।

हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

अ amarujala.com/delhi-ncr/faridabad/smuggler-arrested-with-heroin-faridabad-news-c-26-1-fbd1021-75160-2026-07-17

नोएडा ब्यूरो July 17, 2026

नोएडा ब्यूरो Updated Fri, 17 Jul 2026 10:33 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फरीदाबाद यूनिट ने नशा मुक्त प्रदेश संकल्प के तहत नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो प्रमुख एडीजीपी संजय कुमार के निर्देशों पर धतीर-यादपुर रोड से आरोपी जल सिंह उर्फ जिले को 11.32 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया गया।

यूनिट इंचार्ज इंस्पेक्टर मनोज सांगवान ने बताया कि एएसआई महेंद्र की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर यह सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ थाना गदपुरी में प्राथमिकी दर्ज कर नेटवर्क खंगालने के लिए पूछताछ की जा रही है। संवाद

जयपुर में स्मैक बेचने वाली महिला गिरफ्तार:पति बाहर से लाता था नशा, पत्नी पुड़िया बनाकर 200-300 रुपए में करती थी बिक्री

bhaskar.com/g/local/rajasthan/jaipur/news/jaipur-police-arrest-woman-smack-peddling-pratap-nagar-138468243.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

जयपुर ईस्ट पुलिस ने स्मैक बेचने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 7 ग्राम 15 मिलीग्राम स्मैक और बिक्री से प्राप्त 17,200 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला बाहर से स्मैक मंगवाकर उसकी छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर जयपुर में नशा करने वालों को बेचती थी।

डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रताप नगर क्षेत्र में स्मैक बेच रही रेखा सांसी (28) पत्नी सोनू सांसी को गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से तारपुरा, थाना दादिया, जिला सीकर की रहने वाली है और वर्तमान में खानिया बांधा कच्ची बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर में रह रही थी।

पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 7 ग्राम 15 मिलीग्राम स्मैक और 17,200 रुपए नकद बरामद किए। बरामद नकदी को स्मैक बिक्री की राशि माना जा रहा है। आरोपी के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि वह काफी समय से स्मैक बेचने का काम कर रही थी। उसका पति सोनू सांसी बाहर से स्मैक लाकर देता था, जिसे वह 200 और 300 रुपए की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर नशे के आदी लोगों को बेचती थी। स्मैक खत्म होने पर उसका पति दोबारा नई खेप उपलब्ध करा देता था। महिला आसपास के क्षेत्रों में घूम-घूमकर भी स्मैक की बिक्री करती थी।

पुलिस अब आरोपी महिला से स्मैक की सप्लाई चेन, उसके पति की भूमिका और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि मादक पदार्थ की खेप कहां से लाई जा रही थी और किन-किन इलाकों में इसकी आपूर्ति की जाती थी।

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी महिला का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ पूर्व में भी ट्रांसपोर्ट नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि शहर में नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन 'क्लीन स्वीप' के तहत लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

20 लाख की हेरोइन संग चार तस्कर गिरफ्तार

livehindustan.com/uttar-pradesh/mirzapur/story-major-drug-bust-four-heroin-traffickers-arrested-in-mirzapur-201784312963321.html

Newswrap July 17, 2026

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। विंध्याचल पुलिस ने गोसाई का पुरा तिराहे से शुक्रवार चार हेरोइन तस्कर को धर दबोचा। उनके पास से 20 लाख की हेरोइन बरामद हुई। पकड़े गए तस्करों में तीन विंध्याचल और एक देहात कोतवाली क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने चारों तस्करों को जेल भेज दिया है।

पुलिस की कार्रवाई

सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि विंध्याचल पुलिस गश्त पर निकली थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग मादक पदार्थ बेचने की फिराक में गोसाई का पुरा तिराहे के पास मौजूद हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से चारों तस्करों को धर दबोचा। तलाशी ली तो उनके पास से कुल 99.80 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग बीस लाख रुपये है।

तस्करों की पहचान

पुलिस चारों तस्करों को थाने ले आई। पकड़े गए तस्कर विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के लाल का डेरा गोसाई का पुरवा निवासी महेन्द्र बिन्द उर्फ धर्मेन्द्र बिन्द, महुअरिया निवासी बोतल बिन्द, नई बस्ती निवासी नागा पासी और देहात कोतवाली क्षेत्र के लोहंदी कला निवासी राजेश उपाध्याय के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया।

तस्करों का इतिहास

गिरफ्तार तस्कर नागा पासी के विरुद्ध दो व महेंद्र बिंद के विरुद्ध एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज है। तस्कर गाजीपुर जिले के दिलदारनगर से हेरोइन लाते हैं। उसके बाद हेरोइन की पुड़िया बनाकर उसे मांग के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर बेचने का काम करते हैं।

प्रश्नोत्तर

✦ मिर्जापुर में कितने हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया गया?

✦ मिर्जापुर में चार हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

✦ पुलिस ने कितनी मात्रा में हेरोइन बरामद की?

✦ क्या तस्करों के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है?

जमीनी विवाद को लेकर फर्जी मुकदमे में फंसाया:भदोही में बरी हुआ तो कार में हेरोइन रखवा दी, आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार

bhaskar.com/local/uttar-pradesh/bhadohi/news/bhadohi-heroin-conspiracy-case-pankaj-upadhyay-arrested-138467744.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

भदोही पुलिस ने 22 साल पुराने भूमि विवाद से जुड़े एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए एक व्यक्ति को पहले फर्जी मुकदमों में जेल भिजवाया गया और बाद में उसकी कार में 940 ग्राम हेरोइन रखवाकर एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की साजिश रची गई। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी पंकज उपाध्याय को महाराष्ट्र के जलगांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।

22 साल पुराने भूमि विवाद को लेकर बनाया दबाव

पुलिस के अनुसार, गणेश रायपुर निवासी पंकज उपाध्याय और लक्ष्मी शंकर उपाध्याय के बीच पिछले 22 वर्षों से भूमि विवाद चल रहा था। आरोप है कि पंकज विवादित जमीन पर कब्जा करना चाहता था और इसके लिए वह लगातार लक्ष्मी शंकर पर दबाव बना रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने लक्ष्मी शंकर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का भी फायदा उठाने की कोशिश की।

फर्जी एससी-एसटी और पॉक्सो केस में भेजा था जेल

विवेचना में सामने आया कि पंकज उपाध्याय ने अपने साथियों के साथ मिलकर लक्ष्मी शंकर को एससी/एसटी और पॉक्सो एक्ट के एक कथित फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। इस मामले में लक्ष्मी शंकर करीब नौ महीने तक जिला कारागार ज्ञानपुर में बंद रहे।

बाद में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि मुकदमे की वादिनी और कथित पीड़िता का नाम-पता फर्जी था तथा आयु से जुड़े दस्तावेज भी जाली थे। इसके बाद अदालत ने लक्ष्मी शंकर को दोषमुक्त कर दिया और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।

भाजपा कार्यालय बुलाकर कार में रखवाई 940 ग्राम हेरोइन

पुलिस के मुताबिक, पहली साजिश नाकाम होने के बाद आरोपी ने एक और योजना बनाई। उसने लक्ष्मी शंकर को वाराणसी स्थित भाजपा कार्यालय में गाड़ी लगाने के बहाने बुलाया। आरोप है कि इसी दौरान उनकी आर्टिका कार में 940 ग्राम हेरोइन रखवा दी गई, जिसके बाद उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 से 7 करोड़ रुपये आंकी गई है।

छह महीने जेल में रहे, शिकायत के बाद खुला पूरा मामला

एनडीपीएस मामले में लक्ष्मी शंकर करीब छह महीने तक जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए सुरियावां थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ीं।

महाराष्ट्र से पकड़ा गया इनामी आरोपी

पुलिस ने बताया कि विवेचना में साजिश के पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी पंकज उपाध्याय की तलाश शुरू की गई। उसे महाराष्ट्र के जलगांव से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

चुनरी रंगने वाला युवक 256 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

amarujala.com/amp/haryana/sirsa/young-man-dyeing-scarves-arrested-with-256-grams-of-heroin-sirsa-news-c-128-1-svns1027-161671-2026-07-17

अमर उजाला ब्यूरो

July 17, 2026

डबवाली। एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) डबवाली ने 256 ग्राम हेरोइन के साथ चुनरी रंगने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूनुस खान की निशानदेही पर सप्लायर के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

उप पुलिस अधीक्षक कालांवाली ललित कुमार ने बताया कि एएनसी को सूचना मिली कि यूनुस खान मलोट रोड स्थित रेलवे अंडरब्रिज के पास हेरोइन की खेप पहुंचाने आ रहा है। इसके बाद एएसआई रणजोध सिंह के नेतृत्व में टीम ने निगरानी की। कुछ देर बाद कंधे पर काला बैग लेकर आए युवक को रोककर राजपत्रित अधिकारी नायब तहसीलदार दिव्यांशु मित्तल की मौजूदगी में तलाशी ली गई। बैग से 256 ग्राम हेरोइन बरामद होने पर आरोपी यूनुस खान को काबू कर दिया।

डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार यूनुस खान 11वीं तक शिक्षित है और चुनरी रंगने का काम करता है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने पैसों के लालच में नशा तस्करी से जुड़ने की बात स्वीकार की। आरोपी के बयान के आधार पर हेरोइन उपलब्ध कराने वाले सप्लायर को भी मामले में नामजद किया गया है। पुलिस अब पूरे सप्लाई नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

डीएसपी ललित कुमार ने लोगों से नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नशा तस्करी से संबंधित सूचना मानस पोर्टल, हेल्पलाइन 1933, डबवाली पुलिस के मोबाइल नंबर 9138999748 या नजदीकी थाना अथवा पुलिस चौकी में दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

अमृतसर में एक किलो हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

amarujala.com/amp/video/punjab/amritsar/video-youth-arrested-with-one-kilogram-of-heroin-in-amritsar-2026-07-18

Nivedita

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लोपोके पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 9 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव ख्याला कलां निवासी गुरदेव सिंह के रूप में हुई है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

डीएसपी कपिल कौशल ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह पहले भी 10 से 12 बार पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाकर पंजाब के विभिन्न इलाकों में सप्लाई कर चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के पाकिस्तान में बैठे तस्करों से संपर्क थे।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन को तकनीकी जांच के लिए भेजा है। डीएसपी के अनुसार मोबाइल से कई महत्वपूर्ण लोकेशन, संपर्क और अन्य डिजिटल सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पूरे तस्करी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल एक आरोपी को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि पूरे ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करना है।

आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे तथा अन्य गिरफ्तारियां होने की संभावना है। डीएसपी कपिल कौशल ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी नशा तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

5 हजार का इनामी हेरोइन सप्लायर चंडीगढ़ से गिरफ्तार

अ amarujala.com/haryana/sirsa/heroin-supplier-with-a-5-thousand-reward-arrested-from-chandigarh-sirsa-news-c-128-1-svns1027-161669-2026-07-17

अमर उजाला ब्यूरो July 17, 2026

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 17 Jul 2026 10:50 PM IST

डबवाली। एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) डबवाली ने 5 हजार रुपये के इनामी हेरोइन सप्लायर सलीम उर्फ भीमा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी 292.096 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में थाना कालांवाली में दर्ज प्राथमिकी में वांछित था।

ये भी पढ़ें

एसपी जसलीन कौर ने बताया कि 5 जून 2025 को एएनसी ने नाकाबंदी के दौरान आकाशदीप सिंह उर्फ जानी को 292.096 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि हेरोइन सलीम उर्फ भीमा से खरीदी थी। इसके बाद आरोपी को मामले में नामजद किया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था। हाल ही में एएसआई रणजोध सिंह के नेतृत्व में टीम ने चंडीगढ़ से उसे गिरफ्तार किया है।

मोगा पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा:महिला समेत 5 गिरफ्तार; हेरोइन और नशीली गोलियां बरामद

bhaskar.com/local/punjab/moga/news/moga-police-arrest-five-drug-smugglers-heroin-pills-seized-138467882.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

मोगा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हेरोइन और नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

थाना सिटी मोगा के प्रभारी इंस्पेक्टर वरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कोटकपूरा बाईपास के पास छापेमारी कर साधांवाली बस्ती निवासी रवि कुमार उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसी तरह थाना सिटी साउथ की पुलिस ने साधांवाली बस्ती निवासी राजू को गिरफ्तार कर उससे 25 ग्राम हेरोइन बरामद की।

सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

थाना स्मालसर की पुलिस ने गांव वांदर निवासी नवदीप सिंह उर्फ निंझा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 ग्राम हेरोइन मिली। वहीं थाना महिणा की पुलिस ने ड्रेन पुल बहोना के पास गांव महिरों निवासी सनी सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 53 नशीली गोलियां बरामद कीं।

पूछताछ के दौरान इस मामले में अंग्रेज सिंह उर्फ दीपा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल में अंतरराजीय ड्रग नेटवर्क बेनकाब, 7 आरोपी दबोचे:कांगड़ा में हेरोइन, 2 ऑल्टो और बाइक जब्त; SP बोले-नशे के सौदागरों को नहीं बख्शेंगे

bhaskar.com/local/himachal/kangra/dharamshala/news/kangra-police-drug-network-bust-heroin-arrests-sp-kulbhushan-verma-138465457.html

दैनिक भास्कर July 17, 2026

कांगड़ा पुलिस ने एसपी कुलभूषण वर्मा के नेतृत्व में एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई धर्मशाला, पालमपुर और बैजनाथ क्षेत्रों में की गई। पुलिस के 'चिट्टा और नशा विरोधी अभियान' के तहत विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम (CIA) ने पिछले 24 घंटों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की।

इस दौरान भारी मात्रा में हेरोइन (चिट्टा) और चरस बरामद की गई। धर्मशाला पुलिस थाना के अंतर्गत 154.51 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एसपी कुलभूषण वर्मा ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने कुल 4 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है। इसमें 7 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 नाबालिगों की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस ने नशा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दो ऑल्टो कारें और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। एसपी वर्मा के अनुसार, सबसे बड़ी बरामदगी धर्मशाला पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। यहां विशेष टीम ने ₹1.05 करोड़ मूल्य की हेरोइन जब्त की।

मुख्य आरोपी संदीप भी गिरफ्तार

इस मामले में मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया है, जो कांगड़ा जिले का निवासी है। संदीप लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था और जिले में नशे की बड़ी खेप पहुंचाने का मुख्य सूत्रधार माना जाता है।

इस मामले में एक नाबालिग भी शामिल है और तस्करी में प्रयुक्त एक ऑल्टो कार जब्त की गई है। पुलिस ने इस नेटवर्क के आगे के संबंधों की जांच करते हुए पालमपुर से एक और तस्कर को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है।

पालमपुर और बैजनाथ में चरस के 3 बड़े मामलों का भंडाफोड़

पालमपुर (केस 1): 114 ग्राम चरस के साथ धीरज कुमार (24), निवासी चम्बा को धर दबोचा गया, जो मोटरसाइकिल (HP 45-1125 B) से सप्लाई देने जा रहा था।

पालमपुर (केस 2): मंडी जिला के थची निवासी जोगिंदर कुमार को 1 किलोग्राम 29 ग्राम (1.029 kg) चरस के साथ गिरफ्तार किया गया, जो अपनी ऑल्टो कार से खेप ले जा रहा था। बैजनाथ थाना: 269 ग्राम चरस बरामद कर कांगड़ा के ही अनिल कुमार (22), शिवान (18) और एक नाबालिग को नामजद किया गया है। **₹1.05 करोड़:** धर्मशाला में पकड़ी गई 154.51 ग्राम हेरोइन की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय कीमत। **1.412 किलोग्राम:** पालमपुर और बैजनाथ के तीन मामलों में जब्त कुल चरस की मात्रा। **07 नशा तस्कर:** 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 2 नाबालिगों के खिलाफ केस दर्ज। **03 वाहन सीज:** तस्करी के रूट पर इस्तेमाल हो रही 2 ऑल्टो कारें और 1 मोटरसाइकिल पुलिस कब्जे में।

जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही पुलिस: एसपी एसपी कुलभूषण वर्मा ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, “कांगड़ा पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर काम कर रही है। हम सिर्फ पेडलर्स को नहीं, बल्कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक के जरिए मुख्य सरगनाओं को पकड़ रहे हैं। स्थानीय जनता के सहयोग से खुफिया सूचनाओं पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है।”ॉ

तीन मामलों में 6 नशा तस्कर गिरफ्तार, 34.68 ग्राम चिट्टा बरामद, 2 कार और 1 बाइक भी जब्त

अ **amarujala.com**/himachal-pradesh/solan/six-drug-smugglers-arrested-in-three-separate-cases-3468-grams-of-chitta-synthetic-drug-recovered-and-two-cars-and-one-motorcycle-seized-solan-news-c-176-1-ssml1041-174163-2026-07-17

शिमला ब्यूरो July 17, 2026

संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 17 Jul 2026 10:33 PM IST

पहला मामला कुमारहट्टी के समीप स्विफ्ट कार से 17.92 ग्राम चिट्टा बरामद दूसरे मामले में परवाणू में सिरमौर के दो युवकों से 14.57 ग्राम चिट्टा पकड़ा संवाद न्यूज एजेंसी सोलन। सोलन में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर की गई नाकाबंदी के दौरान तीन अलग-अलग मामलों में कुल 34.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इन मामलों में संलिप्त कुल 6 आरोपियों को काबू किया गया है। पुलिस ने नशीले पदार्थों के साथ-साथ तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक और दो कारों को भी जब्त कर लिया है।

सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक सोलन टी एसडी वर्मा ने बताया कि पुलिस ने तीनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस जानकारी के अनुसार पहले मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कुमारहट्टी की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट कार को रोका।

तलाशी के दौरान कार सवार दो व्यक्तियों तनजिन गेशे नेगी निवासी पूह किन्नौर और अश्वनी कुमार निवासी करसोग मंडी के पास से 17.92 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस थाना सदर सोलन में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वारदात में इस्तेमाल कार जब्त कर ली गई। दोनों आरोपियों को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जहां उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है।

दूसरे मामले में परवाणू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक बोलेरो गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान गाड़ी में सवार दो युवकों राहुल शर्मा और अभिषेक शर्मा दोनों निवासी गांव धीरथ नाहन, सिरमौर के कब्जे से 14.57 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बोलेरो गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। पुलिस थाना परवाणू में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया के साथ उनके पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। तीसरे मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर सवार दो युवकों के कब्जे से 2.19 ग्राम चिट्टा बरामद किया।

आरोपियों की पहचान सुमित शर्मा निवासी रामशहर और गुरमीत पाल निवासी नालागढ़ के रूप में हुई है। पुलिस थाना कुनिहार में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की गई।

गुरदासपुर में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान:धारीवाल पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार, 268 ग्राम हेरोइन बरामद

bhaskar.com/local/punjab/gurdaspur/batala/news/gurdaspur-dhariwal-police-arrest-drug-peddlers-heroin-seizure-138468063.html

दैनिक भास्कर
July 17, 2026

नशीले पदार्थों और ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत गुरदासपुर की धारीवाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए हेरोइन के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इस सफलता को लेकर उप-मंडल (डीएसपी) कुलवंत सिंह मान द्वारा धारीवाल पुलिस स्टेशन में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी कुलवंत सिंह मान ने बताया कि पुलिस की एक मुस्तैद टीम ने नाकेबंदी और चेकिंग के दौरान गांव पुरोवाल जट्टां के रहने वाले दिलबाग सिंह उर्फ लकी को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 268 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है।

इसके अलावा, एक अन्य गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक और युवक को प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के साथ दबोचा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है।

'ऑपरेशन प्रहार III' के तहत 150 मामले दर्ज

डीएसपी मान ने इलाके में नशे के खात्मे के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन प्रहार III' के आंकड़ों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत पुलिस अब तक नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए करीब 150 मामले दर्ज कर चुकी है, जिसके अंतर्गत लगभग 180 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुँचाया गया है।

नशा बेचने वालों को सख्त चेतावनी, आदी युवाओं का कराया जा रहा इलाज

डीएसपी कुलवंत सिंह मान ने ड्रग डीलरों और तस्करों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि समाज में जहर घोलने वाले किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस का मानवीय चेहरा सामने रखते हुए कहा कि पुलिस केवल अपराधियों को पकड़ ही नहीं रही, बल्कि जो युवा इस दलदल में फंसकर नशे के आदी हो चुके हैं, उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने के लिए उनका उचित इलाज और नशामुक्ति केंद्रों में काउंसिलिंग भी करवाई जा रही है।

लक्ष्मीपुर खुर्द में 25 लाख का अफीम बरामद

अ amarujala.com/uttar-pradesh/siddharthnagar/opium-worth-25-lakh-seized-in-lakshmipur-khurd-siddharthnagar-news-c-206-1-mhg1018-181459-2026-07-18

गोरखपुर ब्यूरो

July 17, 2026

ठूठीबारी: भारत-नेपाल सीमा लक्ष्मीपुर खुर्द में पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम पांच किलो अफीम बरामद किया है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है। शुक्रवार की सुबह शीतलपुर बीओपी इंचार्ज शिव पूजन कुमार, लक्ष्मीपुर खुर्द पुलिस चौकी इंचार्ज मनीष तिवारी की संयुक्त टीम लक्ष्मीपुर खुर्द में गश्त कर रही थी।

इसी दौरान नेपाल के तरफ से एक स्कूटर सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया। स्कूटर सवार बॉर्डर पर जवानों को देख पास में रखा झोला फेंककर नेपाल बॉर्डर की तरफ भाग गया। जांच के दौरान झोले की तलाशी ली गई तो झोले में रखा पांच पैकेट अफीम बरामद हुआ।

इस संबंध में एसएसबी सितलापुर विओपी इंचार्ज शिवपूजन कुमार ने बताया कि बरामद अफीम को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए ठूठीबारी कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया।

अलीगंज में दो अफीम तस्कर गिरफ्तार:पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम अफीम जब्त, कोर्ट में पेशी

bhaskar.com/local/uttar-pradesh/bareilly/patparaganj/news/aliganj-opium-smugglers-arrested-police-narcotics-seized-138467176.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

अलीगंज थाना पुलिस ने शुक्रवार को 1:15 बजे करते हुए दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम बरामद की। यह गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर की गई।

गिरधरपुर कुंडरिया फैजुल्लापुर लिंक मार्ग पर सिरोली रोड से लगभग 200 मीटर पहले हुई। पुलिस आगामी त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरत रही थी, जिसके परिणामस्वरूप यह सफलता मिली।गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान ब्रजेश श्रीवास्तव पुत्र धर्मपाल श्रीवास्तव और यशपाल पुत्र सुखपाल के रूप में हुई है।

दोनों कुंडरिया फैजुल्लापुर, थाना अलीगंज के निवासी हैं। पुलिस ने नियमानुसार दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक हरिमुख सिंह, उप निरीक्षक रूप किशोर सिंह, हेड कांस्टेबल महावीर सिंह और कांस्टेबल चमन लाल शामिल थे।

जोधपुर पुलिस ने 6 किलो अफीम पकड़ी:6 लाख रुपए की नकदी बरामद, तस्कर को किया गिरफ्तार

bhaskar.com/local/rajasthan/jodhpur/news/jodhpur-banad-police-drug-bust-opium-seized-accused-arrested-138468005.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

जोधपुर की बनाड़ थाना पुलिस ने शुक्रवार को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 किलो अफीम पकड़ी। मामले में पुलिस ने 6 लाख रुपए की नकदी के साथ आरोपी तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब आरोपी से मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार, DCP मनीष चौधरी के निर्देशन में ADCP नरेंद्र सिंह देवड़ा, ACP अनिल शर्मा की मॉनिटरिंग में थानाधिकारी ईश्वर चंद्र पारीक के नेतृत्व में पुलिस ने जालेली में मादक पदार्थ की सूचना पर कार्रवाई की।

पुलिस आरोपी से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा।

DCP मनीष चौधरी के मुताबिक, पुलिस टीम को ओर से लगातार अवैध मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाइयां की जा रही है। इसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई, जिसमें एक आरोपी पकड़ा गया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

NDPS / मंडी में प्राइवेट बस से 5.535 किलोग्राम चरस व 568 ग्राम अफीम बरामद, हरियाणा के तीन आरोपी गिरफ्तार

himachalnownews.com/ndps-himachal-mandi-police-seize-charas-opium-from-private-bus.html

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन ॥ July 18, 2026

प्राइवेट बस की जांच के दौरान बरामद हुई खेप

मंडी पुलिस ने नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना क्षेत्र के शिला किप्पड़ में नाकाबंदी के दौरान एक प्राइवेट बस से 5.535 किलोग्राम चरस और 568 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने बरामदगी के बाद तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी।

तीनों आरोपी हरियाणा के निवासी

पुलिस के अनुसार केलांग-मनाली-धर्मशाला रूट पर चल रही प्राइवेट बस की जांच के दौरान तीन यात्रियों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चरस और अफीम बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिल कुमार उर्फ काला, कृष्ण कुमार और अमित के रूप में हुई है, जो जिला सोनीपत (हरियाणा) के निवासी हैं। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रिमांड लेकर होगी आगे की जांच

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड का अनुरोध किया जाएगा। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बरामद मादक पदार्थ कहां से लाए गए थे और उनकी आपूर्ति किस स्थान पर की जानी थी। साथ ही इस मामले से जुड़े अन्य संभावित व्यक्तियों और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

जनता से सहयोग की अपील

मंडी के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी के पास नशा तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित कोई जानकारी हो तो इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

971 ग्राम चरस के साथ मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कुल्लू से सप्लायर भी दबोचा

अ amarujala.com/himachal-pradesh/solan/prime-accused-arrested-with-971-grams-of-charas-supplier-also-nabbed-from-kullu-solan-news-c-176-1-ssml1041-174165-2026-07-17

शिमला ब्यूरो July 17, 2026

संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 17 Jul 2026 11:29 PM IST

पुलिस ने दाड़लाघाट में गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई संवाद न्यूज एजेंसी सोलन। दाड़लाघाट में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार से 971 ग्राम चरस बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई की मध्यरात्रि को दाड़लाघाट पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान रामपुर-कुल्लू की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार को जांच के लिए रोका गया।

कार की तलाशी लेने पर उसमें सवार हितेश कुमार निवासी गांव लांबो अर्की सोलन के कब्जे से 971 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार को कब्जे में ले लिया है और पुलिस थाना दाड़लाघाट में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी हितेश के खिलाफ पहले से ही पुलिस थाना

अर्की में लड़ाई-झगड़े का एक मामला दर्ज है। आरोपी को 13 जुलाई को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया था।
रिमांड के दौरान गहन पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण से खुलासा हुआ कि आरोपी ने यह चरस कुल्लू क्षेत्र के निरमंड के रहने वाले सेवा राम नामक व्यक्ति से खरीदी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर नशा सप्लायर सेवा राम निवासी गांव थारला निरमंड, कुल्लू को गिरफ्तार कर लिया।

कोट पुलिस अधीक्षक सोलन टीएसडी वर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कुल्लू से गिरफ्तार किए गए सप्लायर सेवा राम को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल कर रही है कि वह कब से इस अवैध धंधे में शामिल था। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है।

सोलन में चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार:नाकेबंदी को दौरान करीब किलोग्राम नशे के साथ पकड़े गए, 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

bhaskar.com/local/himachal/solan/arki/news/solan-darlaghat-police-charas-arrest-drug-smugglers-jail-138466243.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सोलन जिले की दाड़लाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में चरस बरामद कर दो तस्करों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 'बैकवर्ड लिंकेज' के आधार पर मुख्य सप्लायर को भी दबोच लिया है।

पकड़े आरोपियों को अर्की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया गया है। डीएसपी दाड़लाघाट नवीन झाल्टा ने बताया कि पुलिस को पुख्ता खुफिया सूचना मिली थी कि रामपुर-कुल्लू की ओर से आ रही एक संदिग्ध कार में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लाया जा रहा है। इस इनपुट पर त्वरित एक्शन लेते हुए पुलिस टीम ने बंबीरा क्रॉसिंग मांगू के पास विशेष नाकाबंदी कर दी और आने-जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग शुरू की।

कार के डैशबोर्ड से मिली 971.32 ग्राम चरस

नाकेके दौरान जब पुलिस ने लक्षित कार को रोककर उसकी गहनता से तलाशी ली, तो टीम के होश उड़ गए। तस्करों ने शातिराना तरीके से कार के डैशबोर्ड के भीतर भारी मात्रा में चरस छुपा रखी थी। पुलिस ने डैशबोर्ड से करीब एक किलोग्राम (971.32 ग्राम) चरस बरामद की। कार चालक की पहचान हितेश कुमार पुत्र बाबूराम, निवासी गांव लाम्बों, डाकखाना घनागुघाट, तहसील अर्की के रूप में हुई। उसे NDPS Act के तहत मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस रिमांड में खुला राज, निरमण्ड से दबोचा गया मुख्य सप्लायर

गिरफ्तारी के बाद आरोपी हितेश कुमार को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने नशे के इस काले कारोबार के बैकवर्ड लिंकेज (मुख्य स्रोत) का खुलासा कर दिया। हितेश के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और कुल्लू जिले में दबिश देकर 52 वर्षीय सेवाराम पुत्र गंगाराम, निवासी गांव थरला, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू को धर दबोचा। पुलिस का मानना है कि सेवाराम ही इस इलाके में चरस की बड़ी खेप सप्लाई करने का मुख्य काम करता था।

5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद आज दोनों आरोपियों को दोबारा माननीय न्यायालय अर्की में पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों तस्करों को **पांच दिन की न्यायिक हिरासत** में जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं।

कांगड़ा में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 154.51 ग्राम चिट्टे और 1.412 KG चरस के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार

himachal.punjabkesari.in/himachal-pradesh/news/7-smugglers-arrested-with-heroin-and-hashish-2358427

17 जुलाई 2026

Edited By Vijay, Updated: 17 Jul, 2026 06:32 PM

हिमाचल प्रदेश सरकार के नशा एवं चिट्टा विरोधी अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिला के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

धर्मशाला (सुनील): हिमाचल प्रदेश सरकार के नशा एवं चिट्टा विरोधी अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिला के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चिंताजनक बात यह है कि गिरफ्तार किए गए इन तस्करों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चिट्टा (हैरोइन) और 1 किलोग्राम से अधिक चरस बरामद की है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 ऑल्टो कारें और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है।

धर्मशाला में आयोजित एक विशेष पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने इन ऑप्रेशनों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सीआईए की टीम और स्थानीय पुलिस ने पालमपुर, धर्मशाला और बैजनाथ थाना क्षेत्रों में जाल बिछाकर इन तस्करों के नेटवर्क को तोड़ा है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि तस्करों द्वारा बरामद की गई चरस मंडी जिले से और चिट्टा पंजाब राज्य से लाया जा रहा था। सबसे बड़ी कामयाबी धर्मशाला पुलिस के हाथ लगी है। यहां पुलिस ने 154.51 ग्राम चिट्टे के साथ मुख्य सप्लायर संदीप कुमार और पंजाब के रहने वाले एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। एसपी के अनुसार आरोपी संदीप कुमार पालमपुर और धर्मशाला क्षेत्रों में हैरोइन सप्लाई करने वाला मुख्य तस्कर है।

पालमपुर पुलिस ने भी नशा तस्करों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहली कार्रवाई में मंडी निवासी योगिंदर कुमार को 1.029 किलोग्राम चरस और एक ऑल्टो कार के साथ दबोचा। वहीं, दूसरी कार्रवाई में चम्बा के रहने वाले धीरज कुमार को 114 ग्राम चरस और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं चौथी बड़ी कार्रवाई बैजनाथ पुलिस द्वारा की गई है। यहां पुलिस टीम ने जिला कांगड़ा के ही रहने वाले अनिल मिन्हास, शिवांश और एक नाबालिग को 269 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पुलिस की युवाओं से अपील, नशे की लत से रहें दूर

एसपी कुलभूषण वर्मा ने स्पष्ट किया कि कांगड़ा पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। भविष्य में इस अभियान को और अधिक तेज किया जाएगा ताकि जिला को पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे नशे की लत से दूर रहें। इसके साथ ही एसपी ने आम जनता से भी अनुरोध किया कि यदि उनके आसपास नशा तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो उसे बेझिझक तुरंत पुलिस के साथ सांझा करें। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी।

मथुरा में 16 मुकदमे वाला गिरफ्तार:651 ग्राम गांजा बरामद; NDPS एक्ट में केस

bhaskar.com/amp/local/uttar-pradesh/mathura/chaumuha/news/mathura-drug-smuggler-akash-arrested-ganja-seized-police-138466908.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

जैत पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 651 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आकाश (30) पिता अशोक को गुरुवार रात मघेरा चौराहे के पास से पकड़ा गया। उसके खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में 16 मुकदमे दर्ज हैं।

थानाध्यक्ष सोनू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार रात करीब 9:25 बजे मघेरा चौराहे से बाटी की ओर लगभग 100 मीटर अंदर चेकिंग के दौरान आकाश को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 651 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आकाश राजीव गांधी नगर, मंडी गेट के सामने, थाना कोतवाली मथुरा का निवासी है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना जैत में बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ मथुरा के कोतवाली, गोविंदनगर, वृंदावन और जैत थानों में एनडीपीएस एक्ट, चोरी, आर्म्स एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं।

इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थानाध्यक्ष सोनू कुमार, उपनिरीक्षक अभिनेन्दर राजपूत, उपनिरीक्षक संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, कांस्टेबल दीपक कुमार तथा कांस्टेबल नितिन कुमार शामिल रहे।

बस्तर पुलिस ने पकड़ा 6.35 लाख का गांजा:ओडिशा से UP लेकर जा रहे थे तस्कर, बॉर्डर पर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार

bhaskar.com/local/chhattisgarh/bastar/jagdalpur/news/bastar-police-arrest-ganja-smugglers-odisha-up-border-138471801.html

दैनिक भास्कर

July 18, 2026

बस्तर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 6 लाख 35 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें नगरनार थाना क्षेत्र के धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास से पकड़ा।

पुलिस को सूचना मिली थी कि, दो युवक काले रंग के पिट्ठू बैग में गांजा लेकर धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नगरनार पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।बताए गए हुलिए के आधार पर दोनों संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा।

बैग की तलाशी में मिला 12.7 किलो गांजा

पुलिस ने दोनों युवकों के बैग की तलाशी ली तो उसमें कुल 6 पैकेट में रखा 12 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 6 लाख 35 हजार रुपए बताई गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजा ओडिशा से लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे।

दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरिओम शर्मा (19) निवासी सरफदीनपुर, थाना मलावा, जिला हरदोई (उत्तर प्रदेश) और मोनू चौरसिया (24) निवासी थाना सुरसा, जिला हरदोई (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(ख) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

16 करोड़ के गांजा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़:बलरामपुर पुलिस ने 4 और तस्करों को किया गिरफ्तार,अब तक 9 आरोपी पकड़े गए

bhaskar.com/local/chhattisgarh/balrampur/news/balrampur-police-odisha-ganja-smuggling-arrests-stf-update-138467767.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

बलरामपुर पुलिस और एसटीएफ भुवनेश्वर ने संयुक्त कार्रवाई कर अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में ओडिशा से चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब तक 3139.570 किलोग्राम गांजा जब्त कर चुकी है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है।

गिरफ्तार आरोपियों में दुर्वाशा साहु (46), सुबुधी साहु (40), अरुण कुमार राना (34) और प्रकाश खटुआ (35) शामिल हैं। सभी आरोपी ओडिशा के बौध जिले के कंटामाल थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इससे पहले लोकेश शर्मा, आमिष अंसारी और नीलाम्बर कंहार समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दो मामलों की जांच में हुआ खुलासा

यह कार्रवाई थाना बसंतपुर में दर्ज दो एनडीपीएस मामलों की जांच के दौरान हुई। पहले मामले में 29 दिसंबर 2025 को टाटा ट्रक से 1198.460 किलो गांजा बरामद हुआ था, जिसे नारियल की भूसी में छिपाकर ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। दूसरे मामले में 11 जून को ट्रक RJ-14 GU-9078 से 1941.110 किलो गांजा जब्त किया गया था।

पूछताछ में सामने आया नेटवर्क

जांच में पता चला कि ओडिशा के सोनपुर स्थित लोपा ढाबा के पास पिकअप वाहनों से गांजा लाकर ट्रकों में लोड किया जाता था। तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और पहचान परेड के आधार पर चारों आरोपियों की भूमिका सामने आई। आरोपियों ने पूछताछ में तस्करी में शामिल होने की बात स्वीकार की है।

तस्करों पर होगी सख्त कार्रवाई

बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी, खरीद-फरोख्त और परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

बुरहानपुर पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति अभियान:15 स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित

bhaskar.com/local/mp/burhanpur/news/burhanpur-police-nasha-mukti-abhiyan-awareness-campaign-schools-138467123.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

बुरहानपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत जिले भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशीले पदार्थों के गंभीर दुष्परिणामों से अवगत कराकर एक नशामुक्त समाज का निर्माण करना है।

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशानुसार, जिले के 13 थानों और चौकियों द्वारा कुल 15 स्कूल, कॉलेज और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर ये कार्यक्रम हुए। पुलिस अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को नशे के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रील्स और शॉर्ट फिल्में दिखाई गईं, जिसके बाद सभी प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इसके अतिरिक्त, 'नशे से दूरी है जरूरी' और 'हमारा है यही संकल्प, नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश' जैसे संदेशों वाले पंपलेट भी वितरित किए गए।

इस अभियान में कोतवाली, शिकारपुरा, लालबाग, गणपतिनाका, नेपानगर, निंबोला, शाहपुर, धूलकोट चौकी, देड़तलाई चौकी, महिला थाना, अजाक और नावरा चौकी सहित सभी संबंधित इकाइयों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इन स्थानों पर छात्रों, ग्रामीणों और आम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए।

उदाहरण के तौर पर, कोतवाली थाने ने सेवा सदन हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्में दिखाईं, जबकि शाहपुर थाने ने फोफनार साप्ताहिक हाट बाजार में ग्रामीणों को जागरूक कर शपथ दिलाई। इसी तरह, नेपानगर के पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में शॉर्ट मूवी और रैली का आयोजन किया गया।

जनजागरूकता के साथ अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कारवाई की मांग

bhaskar.com/local/mp/guna/madhusudangarh/news/demand-for-strict-action-against-illegal-drug-trade-along-with-public-awareness-dbp-138471246.html

दैनिक भास्कर

July 18, 2026

भास्कर संवाददाता | मधुसूदनगढ़

मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" जनजागरूकता अभियान का भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने स्वागत किया है। संगठन के जिला अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान ने इसे समाजहित में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि नशा आज परिवारों और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है।

उन्होंने कहा कि नशे के कारण अनेक परिवार आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए किसानों, मजदूरों, युवाओं एवं आम नागरिकों को इस अभियान से जुड़कर अपने गांव, जिले और प्रदेश को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के वर्ष 2029 तक नशामुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही अवैध नशे के कारोबार, बिक्री और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा कानून का निष्पक्ष और कठोर क्रियान्वयन भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी नशीले पदार्थ की उपलब्धता जितनी आसान होगी, उसका उपयोग भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए अवैध नशीले पदार्थों की उपलब्धता पर प्रभावी नियंत्रण से नशे की समस्या पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है।

भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे नशे के खिलाफ इस जनजागरूकता अभियान का हिस्सा बनें और स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।

स्टेशन पर जीआरपी की नशा मुक्ति रैली, यात्रियों, कुलियों और ऑटो चालकों को किया जागरूक

bhaskar.com/local/mp/betul/amla/news/grp39s-drug-de-addiction-rally-at-the-station-passengers-porters-and-auto-drivers-were-made-aware-dbp-138470994.html

दैनिक भास्कर July 18, 2026

आमला| पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे "नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत गुरुवार को जीआरपी आमला ने रेलवे स्टेशन परिसर में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

अभियान के दूसरे दिन प्लेटफॉर्म पर रैली निकालकर यात्रियों, रेल रक्षा समिति के सदस्यों, कुलियों, वेंडर्स और ऑटो चालकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। रैली के दौरान पुलिसकर्मियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नशा विरोधी नारे लगाए और लोगों से नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की।

इसके बाद आयोजित संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया नशा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके परिवार और आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर असर डालता है। युवाओं से विशेष रूप से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। जीआरपी ने नागरिकों से अपील की यदि उनके आसपास नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार या सेवन होता दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

EAST

KP seizes ₹2crore hydroponic ganja, arrests one

TOI timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/kp-seizes-2crore-hydroponic-ganja-arrests-one/amp_articleshow/132468714.cms

Dwaipayan Ghosh July 17, 2026

Kolkata: The narcotic cell of the detective department seized hydroponic ganja, valued at over Rs 2 crore in the illegal, following late-night raids on Thursday, first on a guest house at Tagore Park and then, a home in Tiljala. A 28-year-old youth was arrested.

Acting on a tip-off, police knocked on the door of a room at Shankar Guest House in Tagore Park under Kasba Police Station, where they arrested Hasan Ali, a resident of Chowbaga Road in Tiljala. They seized 558 gm hydroponic ganja, Rs 76,500 cash, a mobile and a digital weighing scale.

During his interrogation, Ali confessed to storing a larger consignment at his home in Tiljala. A police team took Ali accused to his home for a search. As police video-graphed the operation, the team recovered around 6.4 kg hydroponic ganja from the house, bringing the total seizure to around 7 kg.

Hydroponic ganja, locally called ‘OG’, has become the latest trend in India, prompting high-alert seizures by Customs and DRI teams. Major busts have been reported at airports in Chennai, Hyderabad, Ahmedabad and Mumbai from passengers arriving from Thailand, where consumption is legal.

Cultivated in nutrient-rich water instead of soil, this potent strain commands an exorbitant price of Rs 80 lakh a kg to Rs 1 crore a kg. Officers said its market value matched synthetic methamphetamine, making it several times more expensive than regular weed.

A formal case has been registered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act. The Detective Department has officially taken over the probe from the Kasba police station. Preliminary questioning revealed that Ali received eight kilograms of the drug from an accomplice who is currently on the run. This absconding suspect reportedly smuggled 12 kilograms of the contraband into the country from Bangkok recently. Ali is being produced in court, where police will seek custody to track down the international drug syndicate.

चार लाख की हेरोइन जब्त

bhaskar.com/local/bihar/kaimur/mohania/news/heroin-worth-rs-4-lakh-seized-dbp-138469611.html

दैनिक भास्कर July 18, 2026

मोहनिया थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने करीब 37.25 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपये बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बाइक को जब्त करते हुए एक किशोर को हिरासत में लिया है, जिसे आवश्यक कार्रवाई के बाद किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जानकारी के अनुसार, मोहनिया थाना की पुलिस टीम गत 16 जुलाई की रात लगभग 10:10 बजे दुर्गावती जाने वाली जीटी रोड के उत्तरी लेन पर स्थित अस्पताल के सामने नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी।

इसी दौरान चेकपोस्ट की ओर से आ रही एक काले रंग की होंडा बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देखकर चालक बाइक मोड़कर भागने लगा, लेकिन मुस्तैद जवानों ने पीछा कर उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह मोहनिया नगर का ही निवासी है।

थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि जब संदेहास्पद बाइक की सघन तलाशी ली गई, तो सीट के नीचे छुपाकर रखी गई एक काले रंग की पॉलीथिन मिली। इसे खोलने पर भीतर से पीले कागज में लपेटकर बनाई गई 25 पुड़िया मादक पदार्थ बरामद हुआ। पकड़े गए किशोर ने प्रारंभिक पूछताछ में स्वीकार किया कि पुड़ियों में हेरोइन है।

इसके बाद स्थानीय चौकीदार ने बरामद मादक पदार्थ का वजन कराया। जांच के दौरान 11 पुड़ियों का वजन 21.40 ग्राम तथा शेष 14 पुड़ियों का वजन 16.10 ग्राम िमला। कुल मिलाकर 37.25 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों में है। पुलिस इस रैकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है।

सुपौल में 204GM स्मैक के साथ 2 तस्कर अरेस्ट:अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 लाख, हेलमेट में छिपाकर ले जा रहे थे

bhaskar.com/local/bihar/supaul/news/supaul-smack-smuggling-arrest-police-action-kishanpur-crime-138465526.html

दैनिक भास्कर July 17, 2026

सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 204 ग्राम स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर बाबू साहब पेट्रोल पंप से करीब 200 मीटर उत्तर दिशा में की।

दोनों संदिग्धों की घेराबंदी के बाद तलाशी

जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवक स्मैक की खेप लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों संदिग्धों की घेराबंदी की और तलाशी शुरू की।

तलाशी के दौरान एक आरोपी अंकित कुमार उर्फ रामविलास के हेलमेट के अंदर विशेष तरीके से छिपाकर रखा गया 204 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को मौके से गिरफ्तार कर किशनपुर थाना लाया।

पूछताछ में गिरफ्तार युवकों की पहचान अंकित कुमार उर्फ रामविलास (23) और किशोर कुमार (24) के रूप में हुई। दोनों सिंगयावन गांव, वार्ड संख्या-2 के निवासी हैं। पुलिस ने बरामद स्मैक को जब्त कर लिया है।

थानाध्यक्ष बोले-एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR दर्ज

किशनपुर थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार ने शुक्रवार की दोपहर 12 बजे बताया कि दोनों आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि स्मैक की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किसे पहुंचाया जाना था। पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है तथा इससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

पुलिस का मानना है कि पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर मादक पदार्थ तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

175 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 13 लोग गिरफ्तार

livehindustan.com/national/story-joint-operation-leads-to-arrest-of-13-in-dighalbank-with-brown-sugar-seizure-201784308934672.html

Newswrap July 17, 2026

दिघलबैंक। भारत-नेपाल सीमा से सटे दिघलबैंक थाना क्षेत्र के मोहामारी पंचायत स्थित खरवाल टोली गांव में गुरुवार शाम एसएसबी, दिघलबैंक पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में 175 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में मुख्य तस्करी के आरोपी दंपती के अलावा नौ नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। संयुक्त टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में भारतीय व नेपाली मुद्रा,सहित एक सौ रूपये का एक पाकिस्तानी नोट, मोबाइल फोन, नशीली गोलियां और दो बाइक भी जब्त की हैं।

पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि खरवाल टोली स्थित एक घर से चोरी-छिपे ब्राउन शुगर का कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद सहायक कमांडेंट शिव राम कृष्णन एवं दिघलबैंक थानाध्यक्ष बिपिन कुमार के नेतृत्व में एसएसबी, पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 175 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई।

गिरफ्तार मुख्य तस्करी के आरोपी की पहचान खरवाल टोली निवासी 32 वर्षीय रेजाउल, पिता नूर इस्लाम तथा उसकी पत्नी हसीना खातून के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अन्य गिरफ्तार लोगों में नौ नेपाली नागरिक शामिल हैं, जो नशीले पदार्थ का सेवन करने और छोटे-छोटे हिस्सों में ब्राउन शुगर लेकर नेपाल जाने की तैयारी में थे।

छापेमारी का विवरण

छापेमारी के दौरान 8.13 लाख रुपये से अधिक भारतीय मुद्रा, 2.12 लाख से अधिक नेपाली मुद्रा, 100 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा, दो डिजिटल वजन मशीन, 13 स्मार्टफोन, एक टैबलेट, नशीली गोलियां तथा दो बाइक जब्त की गई हैं।

कानूनी कार्रवाई

थानाध्यक्ष बिपिन कुमार ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जब्त नकदी और अन्य सामान के स्रोत की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इसी खरवाल टोली गांव में 16 दिन पहले भी संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 80 ग्राम ब्राउन शुगर, भारी मात्रा में भारतीय एवं नेपाली मुद्रा के साथ तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद गांव में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार जारी रहने से सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर शिकंजा कसने का दावा किया है।

24 कार्टन से 6,085 बोतल कोडीनयुक्त कफ सिरप और 28 हजार कैप्सूल जब्त

bhaskar.com/local/bihar/madhubani/jainagar/news/6085-bottles-of-codeine-containing-cough-syrup-and-28000-capsules-seized-from-24-cartons-dbp-138469994.html

दैनिक भास्कर July 18, 2026

भास्कर न्यूज|जयनगर

भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से जयनगर शहर के पटनागद्दी रोड स्थित एक निजी ट्रांसपोर्ट परिसर में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित व नशीली दवाएं बरामद की हैं। कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ट्रांसपोर्ट संचालक कैलाश सिंह मौके से फरार हो गया।

उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डिप्टी कमांडेंट हरि नारायण जाट के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में अंचल अधिकारी अखिलेश चौधरी, एसएसबी 18वीं बटालियन के अजीत कुमार, कमला बीओपी के अमोल कुमार, जयनगर थाना के एएसआई बलाल खान सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रांसपोर्ट परिसर की तलाशी ली।

छापेमारी के दौरान 24 कार्टन में रखे 6,085 बोतल कोडीनयुक्त कफ सिरप, 28 हजार ट्रामाडोल कैप्सूल तथा अन्य प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गईं। बरामद दवाओं को जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमांडेंट हरि नारायण जाट ने बताया कि कुछ दिन पहले लदनियां में भी बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की बरामदगी हुई थी। उसी मामले की जांच और मिले इनपुट के आधार पर जयनगर के इस ट्रांसपोर्ट पर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में प्रतिबंधित दवाओं के अवैध परिवहन की आशंका सामने आई है। उन्होंने बताया कि बरामद दवाओं का सत्यापन ड्रग इंस्पेक्टर की टीम करेगी।

कोइलवर व चांदी पुलिस की कारेवाई में 4.14 किलो गांजा किया गया बरामद

bhaskar.com/local/bihar/bhojpur/arrah/news/414-kg-of-ganja-recovered-in-an-operation-by-koilwar-and-chandi-police-dbp-138470213.html

दैनिक भास्कर July 18, 2026

भास्कर न्यूज| कोईलवर पुलिस ने मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर कोईलवर और चांदी थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 4.140 किलोग्राम गांजा और 8 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई।

मामले में 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 5 नामजद आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। पुलिस मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सदर-2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर कोईलवर थाना क्षेत्र के कपिलदेव चौक के पास विक्की कुमार की खैनी दुकान में छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान वहां से गांजा बरामद हुआ।

इसके बाद पकड़े गए आरोपित की निशानदेही पर पुलिस टीम ने चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव में सिपाही सिंह की किराना व खाद दुकान में छापा मारा। वहां से भी गांजा के अलावा 8 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, बरामद गांजा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 60 हजार रुपये है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि हरिपुर गांव निवासी सुदामा चौधरी को इस गिरोह का मुख्य आरोपित माना जा रहा है। उसके विरुद्ध पहले भी आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं।

फिलहाल, उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपितों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। मामले में अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

10 KG गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार:वैशाली पुलिस का 'ऑपरेशन नीलकंठ' के तहत एक्शन

bhaskar.com/local/bihar/vaishali/hajipur/news/vaishali-police-operation-neelkanth-raghopur-ganja-smuggler-arrest-138467045.html

दैनिक भास्कर

July 17, 2026

हाजीपुर (वैशाली)18 घंटे पहले

वैशाली पुलिस ने 'ऑपरेशन नीलकंठ' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राघोपुर थाना क्षेत्र से 10.162 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 17 जुलाई 2026 को रात्रि गश्ती के दौरान हुई।

जिले में अवैध मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री पर अंकुश लगाने तथा तस्करों को पकड़ने के लिए वैशाली पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन नीलकंठ' चलाया जा रहा है।

मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति बोरा लिए हुए दिखे

इसी अभियान के तहत, 17 जुलाई 2026 की रात राघोपुर थाना पुलिस टीम कन्हाई चौक के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति बोरा लिए हुए दिखे। पुलिस गाड़ी को देखकर वे तेजी से भागने लगे, जिसके बाद गश्ती टीम ने पीछा कर एक तस्कर को दबोच लिया।

गिरफ्तार तस्कर की पहचान नीतिश कुमार उर्फ सतीश, पुत्र चन्देश्वर भगत, निवासी फतेहपुर खुदगास, थाना राघोपुर, जिला वैशाली के रूप में हुई है। उसके पास से 10.162 किलोग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह मादक पदार्थ कहां से लाया था और किसे बेचने वाला था। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास का भी पता लगा रही है। इस संबंध में राघोपुर थाना में कांड संख्या 267/26 दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

सत्यमेव जयते

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

NARCOTICS CONTROL BUREAU

भारत INDIA

आसूचना प्रवर्तन समन्वय

INTELLIGENCE ENFORCEMENT COORDINATION

Narcotics Control Bureau, Govt. of India

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार

Do you have a tip for NCB? Call on toll free number 1933 (24x7 : National Narcotics Helpline)

Join Us

narcoticsindia.nic.in | narcoticsbureau | ncbmanas | narcoticscontrolbureauindia | india.ncb

Narcotics control Bureau | narcotics-control-bureau | narcotics-control-bureau-india